मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

| वर्ष : 26 | अंक : 9 |

| मई 2026 |

वेदांता पॉवर प्लांट हादसा

ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर से उठ रहे सवाल

सियासत के फेर में फंसा वेदांता ग्रुप

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक विजया पाठक
कार्यकारी संपादक समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय
भोपाल
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़
4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

(पृष्ठ क्र.-6)

- आधी आबादी के हक के लिए जद्दोजहद 30
- बीजेपी की बंगाल जीतः राजनीतिक और सामाजिक मायने 36
- परमाणु युद्ध में न बदल जाए होर्मुज का टकराव 44
- न्यायपालिका संदिग्ध न बने 48
- फिल्में समाज का आईना या रक्तरंजित हिंसा का उभरता प्रतिबिंब? 52
- सीमाओं से परे उठनाः आधुनिक भारतीय महिला 55
- ब्रिटिश हुकूमत का क्रूरतम स्वरूप टुरिया जंगल कांड 58
- Sohrai: An Adivasi festival that celebrates oneness with nature and coexistence with catte.....63

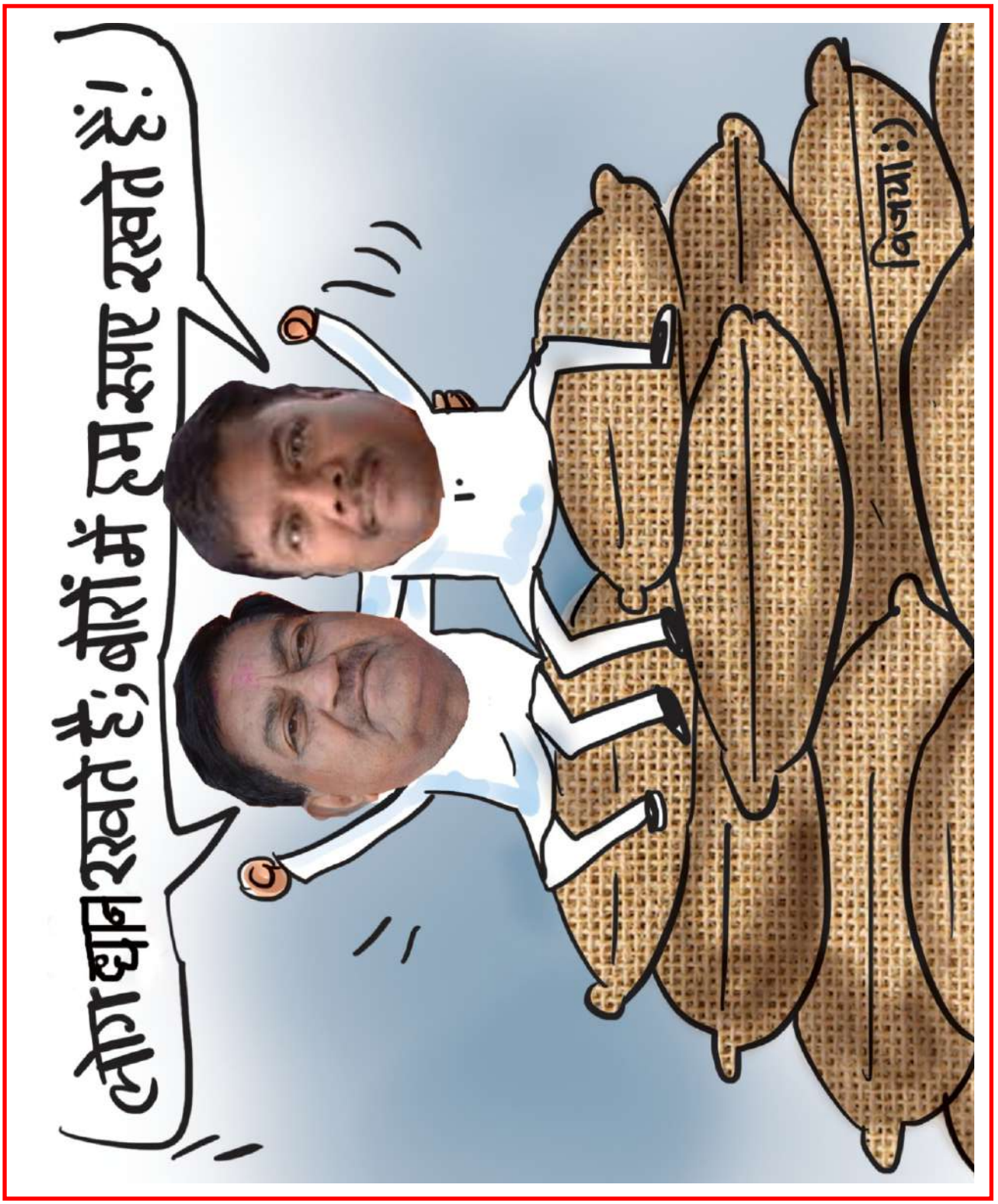

लोग घर रखते हैं; बोरों में हम रुपए रखते हैं!
(विजय:)

बरगी डेम हादसा : आखिर कौन है जिम्मेदार?

मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हाल ही में हुए क्रूज हादसे ने एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जलाशय में विकसित की जा रही क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थीं, लेकिन यह हादसा यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास की दौड़ में सुरक्षा मानकों की अनदेखी तो नहीं हो रही? यह प्रश्न केवल एक दुर्घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी व्यवस्था की कार्यप्रणाली जुड़ी हुई दिखाई देती है। जब किसी पर्यटन स्थल को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाता है, तो वहाँ सुरक्षा, प्रशिक्षण, आपातकालीन व्यवस्था और निगरानी तंत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश, कई बार इन बुनियादी पहलुओं को या तो औपचारिकता समझकर पूरा किया जाता है या फिर केवल कागज़ों तक सीमित रखा जाता है। बरगी डैम जैसे बड़े जलाशय में क्रूज संचालन के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) होना आवश्यक है। इसमें नावों की क्षमता, मौसम की स्थिति, लाइफजैकेट की अनिवार्यता, प्रशिक्षित स्टाफऔर नियमित निरीक्षण जैसी व्यवस्थाएँ शामिल होती हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा था? यदि हाँ, तो फिर यह दुर्घटना कैसे हुई? और यदि नहीं, तो जिम्मेदारी तय करना और भी आवश्यक हो जाता है। इस पूरे मामले में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका भी जांच के दायरे में आती है। स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और संचालन करने वाली एजेंसी तीनों की साझा जिम्मेदारी बनती है कि पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अक्सर देखा जाता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर निजी संचालकों को अनुमति तो दे दी जाती है, लेकिन निगरानी व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती जितनी होनी चाहिए। यही ढिलाई दुर्घटनाओं का कारण बनती है।

इसके अलावा, मौसम और जलस्तर जैसी प्राकृतिक परिस्थितियों का आकलन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। कई बार बिना पर्याप्त चेतावनी प्रणाली के नाव संचालन जारी रहता है, जो जोखिम को बढ़ा देता है। यह घटना इस बात का संकेत है कि तकनीकी निगरानी और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम को और मजबूत करने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू प्रशिक्षण का है। क्रूज संचालन में लगे कर्मचारियों और नाविकों को आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। यदि किसी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, तो छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का रूप ले सकती है। इस घटना के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिम्मेदारी आखिर किसकी है क्या यह केवल संचालक की लापरवाही है, या फिर प्रशासनिक निगरानी की कमजोरी, या फिर नीति स्तर पर मौजूद खामियाँ? वास्तविकता यह है कि ऐसे हादसों के पीछे अक्सर एकल कारण नहीं होता, बल्कि कई स्तरों पर चूक होती है। जरूरत इस बात की है कि इस घटना को केवल एक दुर्घटना मानकर भुला न दिया जाए। इसके बजाय एक व्यापक सुरक्षा समीक्षा की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए और भविष्य के लिए कठोर नियम लागू किए जाएं। पर्यटन विकास तभी सफल माना जा सकता है जब वह सुरक्षित, टिकाउ और जिम्मेदार हो। बरगी डैम हादसा एक चेतावनी है कि विकास और सुरक्षा साथ-साथ चलने चाहिए। यदि सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो ऐसे हादसे केवल संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि लोगों का विश्वास भी कमजोर करेंगे। अब समय है कि जवाबदेही तय हो और ऐसी व्यवस्था बने जिसमें पर्यटक न केवल आनंद लें, बल्कि पूरी सुरक्षा के साथ अपने अनुभव को यादगार बना सकें।

विजया पाठक

वेदांता पॉवर प्लांट हादसा
ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर एफआईआर से उठ रहे सवाल
vedanta
चेयरमैन से ही मोटा माल ऐंठ सकते हैं!
सियासत के फेर में फंसा वेदांता ग्रुप

पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सक्ति के सिंघीतराई स्थित वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ पॉवर प्लांट के अंदर बॉयलर में ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से प्लांट में काम कर रहे 35 कर्मचारी चपेट में आए। हादसा इतना भयानक था कि 25 मजदूरों ने दम तोड़ दिया था। कई मजदूर घायल हुए। यह घटना छत्तीसगढ़ में पहले हुए औद्योगिक हादसों (जैसे 2009 में कोरबा वेदांता हादसा) की याद दिलाती है, जो औद्योगिक सुरक्षा में प्रशासन के लचर रवैये को उजागर करते हैं। इस हादसे के बाद प्रदेश में सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। साथ ही उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को कटघरे में खड़ा किया गया। सरकार की चूक या कंपनी प्रबंधन की चूक के बीच हादसे में जान गंवा चुके मजदूरों के परिजनों को भुला दिया गया। आनन फानन में ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल पर ही एफआईआर कर दी गई, जिससे शासन की कार्यवाही पर गंभीर सवाल उठे। बड़ा सवाल आज भी जिंदा है कि आखिर इन हादसों की असली बजह क्या है। इस औद्योगिक हादसे के बाद एक बार फिर भारत में सरकारी लापरवाही, कॉर्पोरेट जवाबदेही, श्रमिक सुरक्षा और नियामकीय ढांचे पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। यह घटना केवल एक कंपनी या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र की कार्यप्रणाली और उसकी कमजोरियों को उजागर करती है। ऐसे हादसे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और औद्योगिकीकरण की दौड़ में क्या हम मानवीय जीवन और सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं। जब तक सभी स्तरों पर स्पष्ट और सख्त जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसों को रोकना मुश्किल होगा। वेदांता हादसा एक कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। औद्योगिक विकास की चमक के पीछे अक्सर एक जटिल और कमजोर व्यवस्था छिपी होती है। जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या संस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक साझा विफलता का परिणाम है। यदि इस घटना से सीख लेकर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सख्त और व्यापक बनाया जाता है, तो यह एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम हो सकता है। लेकिन यदि इसे केवल एक और दुर्घटना मानकर भुला दिया गया, तो यह न केवल न्याय के साथ अन्याय होगा, बल्कि भविष्य में और भी बड़े हादसों का कारण बन सकता है। सवाल केवल यह नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, बल्कि यह है कि क्या हम एक ऐसी प्रणाली बना सकते हैं जहां जिम्मेदारी तय करने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि हादसे ही न हों। यही इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। औद्योगिक हादसे ने केवल कंपनी की कार्यप्रणाली ही नहीं, बल्कि उद्योग विभाग की भूमिका और उसकी संभावित लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों में अक्सर ध्यान

कंपनी की जिम्मेदारी पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन नियामक संस्थाओं की चूक भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले, उद्योग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होती है कि औद्योगिक इकाइयां सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करें। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण, लाइसेंसिंग और अनुपालन की जांच की जाती है। यदि वेदांता जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में हादसा होता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग द्वारा नियमित और प्रभावी निरीक्षण किया गया था। यदि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया था, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही का संकेत है। दूसरा, कई बार देखा जाता है कि उद्योग विभाग के पास पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है। इससे निरीक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। लेकिन यह तर्क लापरवाही को पूरी तरह सही नहीं ठहरा सकता। आधुनिक तकनीक- जैसे डिजिटल मॉनिटरिंग, रिमोट सेंसरिंग और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके निरीक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यदि इन साधनों का उपयोग नहीं किया गया, तो यह प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है। तीसरा, भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मुद्दा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार उद्योग विभाग और कंपनियों के बीच सांठगांठ के आरोप सामने आते हैं, जिसके कारण नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यदि वेदांता हादसे के मामले में भी पहले से किसी जोखिम की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, तो यह गंभीर प्रशासनिक विफलता मानी जाएगी। चौथा, जोखिम की पूर्व पहचान और रोकथाम में उद्योग विभाग की भूमिका अहम होती है। बड़े औद्योगिक संयंत्रों में संभावित खतरों का आंकलन और आपातकालीन योजनाओं की समीक्षा नियमित रूप से होनी चाहिए। यदि यह प्रक्रिया कमजोर रही या केवल कागजों तक सीमित रही, तो विभाग अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा है। नियामक संस्था होने के नाते उद्योग विभाग की जवाबदेही अधिक होती है, क्योंकि वह पूरे सिस्टम की निगरानी करता है। हादसा यह संकेत देता है कि उद्योग विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की जरूरत है। निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना, तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो भविष्य में भी ऐसे हादसे दोहराए जा सकते हैं, जिसकी कीमत आम लोगों और श्रमिकों को चुकानी पड़ेगी।

विजया पाठक

अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में वेदांता कारखाने में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इस औद्योगिक हादसे के बाद एक बार फिर भारत में सरकारी लापरवाही, कॉर्पोरेट जवाबदेही, श्रमिक सुरक्षा और नियामकीय ढांचे पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। यह घटना केवल एक कंपनी या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र की कार्यप्रणाली और उसकी कमजोरियों को उजागर करती है। ऐसे हादसे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और औद्योगिकीकरण की दौड़ में क्या हम मानवीय जीवन और सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं। औद्योगिक इकाइयों में होने वाले हादसे अक्सर तकनीकी खामियों, मानवीय भूलों या सुरक्षा मानकों की अनदेखी का परिणाम होते हैं। वेदांता से जुड़ा यह हादसा भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। प्रारंभिक रिपोर्टों में संकेत मिले कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह नहीं किया गया था या उनमें गंभीर कमियां थीं। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं बार-बार यह साबित करती हैं कि कागजों पर मौजूद सुरक्षा मानक और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर होता है। वेदांता हादसा एक चेतावनी है कि भारत के औद्योगिक क्षेत्र को अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। सबसे पहले, सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना होगा और उनके उल्लंघन पर कड़ी सजा सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा, कंपनियों को अपनी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करनी चाहिए। जोखिम प्रबंधन,

यह घटना केवल एक कंपनी या एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे औद्योगिक तंत्र की कार्यप्रणाली और उसकी कमजोरियों को उजागर करती है। ऐसे हादसे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विकास और औद्योगिकीकरण की दौड़ में क्या हम मानवीय जीवन और सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं।

वेदांता हादसा: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की घोर लापरवाही मुख्यमंत्री साय को तुरंत लेना चाहिए एक्शन

वेदांता कंपनी के कारखाने में हाल ही में हुए हादसे ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई कर्मचारियों की जान गई और अनेक घायल हुए। लेकिन इससे भी गंभीर बात यह है कि यह हादसा केवल एक अनहोनी नहीं था, बल्कि इसमें सरकार और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की स्पष्ट लापरवाही की झलक मिलती है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने वर्षों से चेतावनी दी थी कि वेदांता के संयंत्र में सुरक्षा मानकों का पालन पर्याप्त नहीं हो रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई थी। जैसे कि नियमित निरीक्षण, आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति, और उपकरणों का समय पर रखरखाव। ऐसे संकेतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने गंभीर कदम उठाने में आनाकानी की।

जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा मंत्री ने: उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के सीधे हस्तक्षेप के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मीडिया रिपोर्टों और कर्मचारी बयानों के अनुसार, मंत्री ने कई बार स्थिति नियंत्रण में है जैसी टिप्पणियाँ की, जबकि वास्तविकता इससे विपरीत थी। यह स्पष्ट दर्शाता है कि उद्योग और सुरक्षा नियमों की अवहेलना केवल कंपनी स्तर तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजनीतिक संरक्षण भी इसमें शामिल था। हादसे के तुरंत बाद की गई जांच से पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए। अधिकारियों ने नियमित निरीक्षण और जांचों को नजरअंदाज किया, जिससे हादसे की गंभीरता बढ़ गई। यदि समय पर कड़ी कार्रवाई होती, तो इस तरह के मानव और आर्थिक नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। वेदांता हादसा केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं है, यह प्रशासनिक और राजनीतिक लापरवाही का प्रतीक है। जब सुरक्षा नियमों की अनदेखी की जाती है और जिम्मेदार लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, तो परिणाम हमेशा दुखद होते हैं। ऐसे में उद्योग मंत्री और सरकार को न केवल

प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करना जरूरी है। तीसरा, सरकार को नियामकीय ढांचे को अधिक प्रभावी बनाना होगा। तकनीक का उपयोग करके निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। चौथा, श्रमिकों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। जब तक वे अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। वेदांता से जुड़ा यह हादसा केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक व्यापक प्रणालीगत समस्या का प्रतीक है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विकास का असली अर्थ क्या है और उसकी कीमत कौन चुका

जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।हाल ही में वेदांता कंपनी के कारखाने में हुए दुखद हादसे ने राज्य और देश को झकझोर दिया। इस त्रासदी में कई कर्मचारियों की जान चली गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसे समय में सिर्फ हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण कहकर टाल देना प्रशासनिक जिम्मेदारी की अवहेलना है। यह स्पष्ट हो गया है कि हादसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के साथ-साथ उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की घोर लापरवाही भी शामिल रही है। रिपोर्टों और कर्मचारियों की गवाही के अनुसार, वेदांता के संयंत्र में सुरक्षा नियमों का पालन अधूरा था। कई महत्वपूर्ण उपकरण और आपातकालीन व्यवस्थाएँ समय पर अपडेट या निरीक्षण नहीं हुईं। सुरक्षा अधिकारियों और श्रमिक संघों ने समय-समय पर इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री लखनलाल देवांगन ने औपचारिकता में उलझकर वास्तविक कदम उठाने में चूक की। मंत्री के इस रवैये ने स्पष्ट संकेत दिया कि राजनीतिक संरक्षण और उदासीनता के कारण सुरक्षा नियमों की अनदेखी होती रही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास अब जिम्मेदारी है कि वह इस लापरवाही को गंभीरता से देखें। मुख्यमंत्री का पहला दायित्व राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब किसी मंत्री की उदासीनता और लापरवाही से ऐसी त्रासदी होती है, तो उच्चतम स्तर से सख्त कार्रवाई करना अनिवार्य है। इसमें उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिम्मेदारी तय करना और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए नीति सुधार शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच समिति गठित करें, जो हादसे के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करे। जांच में केवल तकनीकी कारण ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों की भी पड़ताल होनी चाहिए। यदि जांच में मंत्री की लापरवाही साबित होती है, तो उन्हें उनके पद और जिम्मेदारियों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही, पूरे उद्योग क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की समीक्षा और कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। वेदांता हादसा यह साबित करता है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, उनका पालन और निगरानी भी सुनिश्चित करना जरूरी है। मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए प्रशासन और उद्योग दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठाए जाएं। पीड़ितों और उनके परिवारों को उचित मुआवजा और राहत देना भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। वेदांता हादसे ने न केवल व्यक्तिगत परिवारों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा की भावना भी पैदा की है। इस स्थिति में सरकार का त्वरित और निर्णायक कदम जनता के विश्वास को बहाल कर सकता है।

रहा है। यदि इस घटना से सबक लिया जाए और ठोस सुधार किए जाएं, तो यह एक सकारात्मक मोड़ बन सकता है। लेकिन अगर इसे भी अन्य घटनाओं की तरह भुला दिया गया, तो भविष्य में ऐसे हादसे दोहराए जाते रहेंगे। किसी भी समाज की प्रगति का आकलन केवल उसकी आर्थिक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि वह अपने नागरिकों- विशेषकर श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा को कितना महत्व देता है। वेदांता हादसा इसी कसौटी पर हमें परखने का एक अवसर है।

कॉर्पोरेट जवाबदेही का प्रश्नः इस हादसे के बाद सबसे अहम सवाल यह उठा कि जिम्मेदारी किसकी है। परंपरागत रूप से

कंपनियां इस तरह की घटनाओं में निचले स्तर के कर्मचारियों या साइट मैनेजमेंट को जिम्मेदार ठहराती रही हैं। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। जब शीर्ष स्तर के प्रबंधन तक सवाल पहुंचते हैं तो यह संकेत देता है कि जवाबदेही की परिभाषा व्यापक हो रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल सिद्धांत यही है कि कंपनी का नेतृत्व केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे अपने कर्मचारियों, पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। इस संदर्भ में वेदांता का मामला एक परीक्षण की तरह है-

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मूल सिद्धांत यही है कि कंपनी का नेतृत्व केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसे अपने कर्मचारियों, पर्यावरण और समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए।

यह तय करेगा कि क्या भारत में बड़ी कंपनियों को भी उतनी ही सख्ती से जवाबदेह ठहराया जा सकता है जितना छोटे उद्योगों को।

श्रमिक सुरक्षा-एक अनदेखा पहलू: भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिक क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। लेकिन इस विस्तार के साथ श्रमिक सुरक्षा का मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है। कई बार श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, सुरक्षा उपकरणों की कमी होती है और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम कराया जाता है।

चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर आंच और कटघरे में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन

छत्तीसगढ़ के वेदांता पॉवर प्लांट में हादसे के बाद वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल पर दर्ज एफआईआर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी बड़े कार्पोरेट समूह के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज होना अपने आप में असामान्य घटना मानी जाती है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रबंधन के बजाए चैयरमेन को जिम्मेमदार ठहराया जा सकता है? यहां पर उद्योग विभाग के मंत्री लखनलाल देवांगन भी सवालों के घेरे में हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनी के स्थानीय प्रबंधन या साइट से जुड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन चेयरमैन तक जवाबदेही तय करना यह दर्शाता है कि जांच एजेंसियां अब टॉप-डाउन जिम्मेदारी तय करने के दृष्टिकोण को अपनाने लगी हैं। इसका मतलब है कि केवल निचले स्तर पर नहीं, बल्कि नीतिगत और प्रबंधन स्तर पर भी लापरवाही की जांच होगी। वेदांता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल का नाम देश के सबसे दानदाताओं में शुमार है। हाल ही के महीनों में उन्होंने भारतीय मुद्रा में करीब 21 हजार करोड़ रुपये दान कर दिये थे। बताया जाता है कि अपने एकलौते बेटे की मौत के गमगीन उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे की हिस्से की लगभग 75 प्रतिशत संपत्ति परोपकार के लिये दान कर दी। इस संपत्ति का उपयोग शैक्षणिक कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य में किया जायेगा। लेकिन अब दान से ज्यादा चर्चा अनिल अग्रवाल के गैर इरादतन हत्या के उस प्रकरण को लेकर हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के सक्तिजिले के डबरा थाने में पंजीबद्ध किया गया है। इस एफआईआर के अलावा वेदांता थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट में कार्यरत अधिकारियों के खिलाफदर्ज की गई। औद्योगिक हादसों को कंपनी के भागीदारों और पदाधिकारियों के खिलाफएफआईआर दर्ज हेना आम बात है। लेकिन चेयरमेन के खिलाफ बगैर प्राथमिक जांच पूरी हुई एफआरआई दर्ज करने का मामला गर्माया हुआ है। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि उद्योगपति अनिल अग्रवाल के खिलाफदर्ज प्रकरण के किसी उद्योग प्रतिबद्धता प्रतिस्पर्धा और राजनीति मिली जुली मुहिम है। उद्योगपति नवीन जिंदल ने अनिल अग्रवाल के खिलाफबगैर प्राथमिक जांच पूरी हुये एफआईर दर्ज करने पर आपत्ति जाहिर की है। उधर अनिल अग्रवाल के लिखाफ एफआईर दर्ज होते ही शेयर बाजार में हलचल तेज है। वेदांता समूह के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। हादसे में 23 कर्मियों की मौत हो चुकी है। जबकि दर्जन भर से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। केन्द्र और राज्य सरकार ने हादसे पर दुख जताते हुये

वेदांता हादसे ने यह सवाल फिर से उठाया है कि क्या कंपनियां वास्तव में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं या इसे एक औपचारिकता के रूप में देखती हैं। अगर सुरक्षा उपाय केवल निरीक्षण के समय दिखाने के लिए हैं, तो

पीड़ितों के लिये मुआवजे का ऐलान भी किया है। राज्य के औद्योगिक इलाकों में कारखानों और फैक्टिरियों में हादसों में तेजी है। बताया जाता है कि विगत 03 वर्षों में औद्योगिक दुर्घटनाओं में मरने वाले की संख्या 300 पार हो चुकी है। ऐसे में श्रमिकों के बढ़ते जोखिम को लेकर सरकार भी सकते में है। दावा किया जा रहा है कि औद्योगिक सुरक्षा इंड्रस्टियल एक्ट जैसे संपत्ति के जुड़े ज्यादातर विभाग के बीच ना तो तालमेल है और न ही अपने कार्यों के प्रति सक्रियता। नतीजतन औद्योगिक इलाकों में दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। यही नही जांच पड़ताल करने वाले सबसे बड़े सरकारी अधिकारी सिर्फ कागजी खानापूर्ति में जोर देते हैं। ऐसे में औद्योगिक सुरक्षा का मसला सिर्फ सरकार तक सीमित हो गया है। औद्योगिक घटनाओं दुर्घटनाओं को टालने में टाक्स फोर्स भी नाकामयाब साबित हुआ है।

केवल प्रबंधन नहीं उद्योग विभाग भी हादसे का जिम्मेदार: वेदांता हादसे ने केवल कंपनी की कार्यप्रणाली ही नहीं, बल्कि उद्योग विभाग की भूमिका और उसकी संभावित लापरवाही पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्योग विभाग की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होती है कि औद्योगिक इकाइयां सभी सुरक्षा मानकों और नियमों का पालन करें। इसके लिए समय-समय पर निरीक्षण, लाइसेंसिंग और अनुपालन की जांच की जाती है। यदि वेदांता जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में हादसा होता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग द्वारा नियमित और प्रभावी निरीक्षण किया गया था। यदि निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया था, तो यह सीधे तौर पर लापरवाही का संकेत है। भ्रष्टाचार और मिलीभगत का मुद्दा भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार उद्योग विभाग और कंपनियों के बीच सांठगांठ के आरोप सामने आते हैं, जिसके कारण नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

अनिल अग्रवाल के समर्थन में उद्योगपति नवीन जिंदल का ट्वीट।

कई बड़े हादसों के बादे भी सुरक्षा के मापदण्डों से समझौता: छत्तीसगढ़ में कई बड़े हादसों के बादे भी सुरक्षा के मापदण्डों से समझौता किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यों की प्रणाली पर प्रश्नचिंह लग रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ में औद्योगिक सुरक्षा भगवान भरोसे नज़र आ रही है। हादसों के बाद हाथ पैर मारते सरकारी अफसरों को देखकर जनता उनकी जिम्मेदारी भी तय करने और ऐसे लापरवाह अधिकारियों को आरोपी बनाने की मांग कर रही है। कई घटनाऐं हुई हैं लेकिन एक घटना के आरोपी की खानापूर्ति की बजाय पुलिस कंपनी के भागीदारों और अन्य पदाधिकारियों में मामले पंजीबद्ध किये थे लेकिन वेदांता पॉवर प्रोजेक्ट के घटना सीधे तौर पर चेयरमेन अनिल अग्रवाल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है।

उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाता। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक सुरक्षा को केवल नियमों तक सीमित रखने के बजाय उसे कंपनी की संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। जब तक हर स्तर पर सुरक्षा को लेकर जागरूकता

और प्रतिबद्धता नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे।

नियामकीय तंत्र और उसकी सीमाएं: भारत में औद्योगिक सुरक्षा के लिए कई कानून और नियम मौजूद हैं। लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती है।

छत्तीसगढ़ में अब तक हुए औद्योगिक हादसे

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले 3 वर्षों (2023-2026) में छत्तीसगढ़ में औद्योगिक दुर्घटनाओं में लगभग 300 मजदूरों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में यह संख्या 300 के पार बताई गई है, जो राज्य में बढ़ते औद्योगिक जोखिम को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रमुख औद्योगिक राज्य है, जहाँ स्टील, कोयला, उर्जा और खनन आधारित उद्योग बड़ी संख्या में स्थापित हैं। औद्योगिक विकास ने जहाँ राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दी है, वहीं समय-समय पर हुए औद्योगिक हादसों ने सुरक्षा व्यवस्था, श्रमिक स्थितियों और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर प्रश्न भी खड़े किए हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिक सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगातार हादसे और मौतें हो रही हैं। आँकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि समस्या गंभीर है और तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यदि सरकार, उद्योग प्रबंधन और समाज मिलकर सख्त सुरक्षा नियम, नियमित निरीक्षण और श्रमिकों के प्रशिक्षण पर ध्यान दें, तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। हाल के प्रमुख औद्योगिक हादसे-

बलौदाबाजार स्टील-प्लांट विस्फोट

भाटापारा स्पंज आयरन फैक्ट्री हादसा

सक्ती पावर प्लांट बॉयलर विस्फोट (2026)

अप्रैल 2026 में सक्ति जिले में स्थित वेदांता के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट हुआ, निरीक्षण तंत्र की कमजोरी, भ्रष्टाचार और संसाधनों की कमी के कारण कई बार नियमों का उल्लंघन बिना किसी डर के होता रहता है। वेदांता हादसे ने नियामकीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यदि समय-समय पर सख्त निरीक्षण और

जिसमें लगभग 25 मजदूरों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा हाल के वर्षों का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा माना जा रहा है। प्रारंभिक जांच में उपकरणों की खराब देखरेख और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को संभावित कारण बताया गया है।

बलौदाबाजार स्टील प्लांट विस्फोट (2026)
जनवरी 2026 में बलौदाबाजार जिले के एक स्टील प्लांट में कोयला भट्ठी में विस्फोट हुआ, जिसमें 6-7 मजदूरों की मौत हो गई और कई घायल हुए।

भाटापारा स्पंज आयरन फैक्ट्री हादसा (2026)
इसी वर्ष भाटापारा क्षेत्र में एक स्पंज आयरन फैक्ट्री में विस्फोट से 6 मजदूरों की मौत हो गई।

रायपुर (सिलतरा) गोदावरी इस्पात प्लांट हादसा (2025)
सितंबर 2025 में रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा स्थित गोदावरी इस्पात प्लांट में संरचना ढहने से 6 मजदूरों की मृत्यु हो गई और कई घायल हुए। कुछ रिपोर्टों में गर्म स्लैग गिरने और प्रबंधन की लापरवाही को भी कारण बताया गया।

भिलाई स्टील प्लांट गैस पाइपलाइन विस्फोट -2018: इस बड़े हादसे में 9 लोगों की मौत और 14 घायल हुए।

बलौदाबाजार (अंबुजा/होल्सिम) प्लांट हादसा-2013: फ्लाई ऐश हॉपर गिरने से 5 मजदूरों की मौत हुई।

रायपुर (सिलतरा) गोदावरी इस्पात प्लांट हादसा

भिलाई स्टील प्लांट गैस पाइपलाइन विस्फोट

कार्रवाई होती, तो शायद इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। यह जरूरी है कि सरकार और संबंधित एजेंसियां केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर निगरानी को मजबूत करें।

आर्थिक प्रभाव और निवेशकों की

औद्योगिक हादसों की प्रवृत्ति

- अधिकांश हादसों में सुरक्षा उपकरणों का अभाव, मशीनों का खराब रख-रखाव और जोखिम प्रबंधन की कमी देखी गई है।
- अक्सर मजदूर अस्थायी या ठेका प्रणाली पर काम करते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा सुविधाएँ नहीं मिल पातीं।
- कई मामलों में नियमित निरीक्षण और नियमों के पालन में ढिलाई पाई गई है, जिसके कारण दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं।
- पुरानी मशीनरी, ओवरलोडिंग और तकनीकी खराबी भी दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं।
- अधिकांश पीड़ित प्रवासी मजदूर होते हैं, जिनके परिवार आर्थिक संकट में आ जाते हैं।
- उद्योगों को भारी नुकसान होता है और उत्पादन प्रभावित होता है।

प्रशासन की लापरवाही के मुख्य बिंदु

सुरक्षा मानकों की अनदेखी: प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि प्लांट में सुरक्षा के निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

निरीक्षण में ढिलाई: औद्योगिक सुरक्षा विभाग और बॉयलर इंस्पेक्टर की जांच के बाद रिपोर्ट में प्रबंधन की घोर लापरवाही उजागर हुई है, जिससे संकेत मिलता है कि नियमित और तकनीकी निरीक्षण समय पर नहीं किए गए।

प्रोडक्शन का दबाव: चेतावनी के बावजूद, बॉयलर की सफाई और मेंटेनेंस के बजाय उत्पादन को दोगुना करने की जल्दबाजी की गई, जो हादसे का बड़ा कारण बनी।

चेतावनी को नजरअंदाज करना: सूत्रों के अनुसार, तकनीकी खराबी की चेतावनी मिलने के बावजूद काम जारी रखा गया।

चिंता: इस तरह की घटनाओं का असर केवल मानवीय नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका आर्थिक प्रभाव भी व्यापक होता है। किसी बड़ी कंपनी के साथ हादसा जुड़ने से उसके शेयर मूल्य पर असर पड़ सकता है, निवेशकों का भरोसा कम हो

सकता है और कंपनी की साख को नुकसान पहुंचता है। निवेशक अब केवल वित्तीय प्रदर्शन नहीं देखते, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस मानकों को भी महत्व देने लगे हैं। वेदांता जैसे मामलों में अगर यह पाया जाता है कि कंपनी ने सुरक्षा

छत्तीसगढ़ के वेदांता कंपनी में हुए हादसे का आखिर कौन है जिम्मेदार?

छत्तीसगढ़ में वेदांता कंपनी में हुए हालिया हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और मानव जीवन के मूल्य जैसे गंभीर सवालों को केंद्र में ला खड़ा किया है। यह घटना सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था की विफलता का आईना है, जिसमें लापरवाही, उदासीनता और जवाबदेही के अभाव ने मिलकर निर्दोष मजदूरों की जान ले ली। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या केवल कंपनी प्रबंधन को दोषी ठहराना पर्याप्त होगा, या फिर इसके पीछे प्रशासनिक तंत्र की भी बराबर की भूमिका है? जब किसी उद्योग में इस प्रकार की दुर्घटना होती है, तो यह मान लेना गलत होगा कि यह अचानक घटित हुई घटना है। इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निरीक्षण तंत्र की निष्क्रियता छिपी होती है। वेदांता जैसी बड़ी कंपनी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानकों का पालन करेगी। सवाल उठता है कि क्या कंपनी के भीतर नियमित सुरक्षा ऑडिट हो रहे थे? क्या मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए गए थे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पहले से मौजूद खामियों की जानकारी होते हुए भी उन्हें नजरअंदाज किया गया? दूसरी ओर राज्य सरकार की भूमिका भी कटघरे में है। किसी भी औद्योगिक इकाई की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल कंपनी की नहीं होती, बल्कि सरकार के संबंधित विभागों की भी होती है। यदि समय-समय पर निरीक्षण होते और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाता, तो शायद यह हादसा टल सकता था।

उद्योग विभाग पर उठ रहे सवाल: इस संदर्भ में उद्योग विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि विभाग ने समय रहते कंपनी की खामियों को पकड़ने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में लापरवाही बरती। सूत्रों के अनुसार उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने

या पर्यावरणीय मानकों की अनदेखी की, तो इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है।

सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम: औद्योगिक हादसे केवल कर्मचारियों को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि आसपास के

कंपनी से मोटी रकम भ्रष्टाचार के रूप में ली जिसके कारण सरकार और विभाग ने आंख में पट्टी बांध रखी। यदि निरीक्षण प्रणाली प्रभावी होती, तो अंदरूनी कमजोरियों का पता पहले ही चल जाता। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि या तो निरीक्षण औपचारिकता मात्र बनकर रह गया था, या फिर उसमें पारदर्शिता और कठोरता का अभाव था। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की भूमिका भी चर्चा में है। विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तर्क यह है कि यदि विभाग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करता, तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था। दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

क्या मृतकों की कीमत लगाई सरकार ने 45 लाख: अब बात करते हैं मुआवजे की। राज्य सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को ४५ लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। पहली नजर में यह राशि बड़ी प्रतीत हो सकती है, लेकिन क्या वास्तव में यह किसी इंसान के जीवन का मूल्य हो सकता है? क्या एक परिवार के कमाने वाले सदस्य की मौत की भरपाई पैसों से की जा सकती है? असली जरूरत है ऐसी व्यवस्था बनाने की, जहां मजदूरों की जान की कीमत मुआवजे से नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करके चुकाई जाए। हर हादसे के बाद मुआवजा देना एक परंपरा बन चुकी है, लेकिन हादसों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की इच्छाशक्ति अक्सर नजर नहीं आती। इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि क्या हमने पिछली घटनाओं से कोई सबक लिया है? देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगिक दुर्घटनाएं पहले भी होती रही हैं और हर बार यही सवाल उठते हैं- जिम्मेदारी किसकी है, कार्रवाई कब होगी और भविष्य में इसे कैसे रोका जाएगा? लेकिन समय के साथ ये सवाल दब जाते हैं और व्यवस्था फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आती है। जरूरत है कि इस घटना को एक चेतावनी के रूप में लिया जाए।

> **उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की भूमिका भी चर्चा में है। विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा यह मांग उठाई जा रही है कि मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। तर्क यह है कि यदि विभाग अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करता, तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था।**

मजदूरों को मिले उनके अधिकार: मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रमिक संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए कि वे इस मुद्दे को लगातार उठाते रहें और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएं। अंतत: यह घटना केवल एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था की परीक्षा है। यदि इस बार भी हम जिम्मेदारियों को तय करने और ठोस सुधार करने में विफल रहते हैं, तो भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर होंगी, और हर बार हम केवल शोक और मुआवजे तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि हम यह तय करें कि क्या हम मानव जीवन को वास्तव में सर्वोपरि मानते हैं, या फिर उसे आंकड़ों और मुआवजे की राशि में आंकते रहेंगे। जवाबदेही तय हो, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी व्यवस्था बने, जिसमें किसी भी मजदूर को अपनी जान जोखिम में डालकर काम न करना पड़े। यही इस त्रासदी से मिली सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए।

लापरवाही के कारण फटा वायलर: छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में समय-समय पर होने वाले बॉयलर हादसे केवल तकनीकी खराबी का परिणाम नहीं होते, बल्कि वे कई स्तरों पर मौजूद लापरवाही, कमजोर व्यवस्था और जिम्मेदारी के अभाव का परिणाम होते हैं। हाल के हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय रहते सावधानी न बरती जाए, तो एक छोटी सी चूक भी बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। इस प्रकार की घटनाएं यह संदेश देती हैं कि औद्योगिक सुरक्षा को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। जब तक कंपनियां उत्पादन के साथ-साथ सुरक्षा को समान महत्व नहीं देंगी और सरकार अपने निरीक्षण तंत्र को मजबूत नहीं बनाएगी, तब तक ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति होती रहेगी।

समुदाय और पर्यावरण पर भी गहरा असर डालते हैं। प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ने वाला प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वेदांता पहले भी पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है और इस हादसे ने उन

उद्योग विभाग की उदासीनता

उद्योग विभाग का मुख्य कार्य राज्य में स्थापित कारखानों और औद्योगिक इकाइयों की निगरानी करना, सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करना होता है। इसके बावजूद कई हादसों में यह सामने आया है कि विभाग की लापरवाही के कारण सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनी रहती है। कई उद्योग बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के संचालित होते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या निरीक्षण प्रणाली की कमजोरी है। उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर यह प्रक्रिया केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। कई बार निरीक्षण पूर्व सूचना देकर किया जाता है, जिससे उद्योग अस्थायी रूप से व्यवस्था सुधार लेते हैं और वास्तविक स्थिति छिप जाती है। इससे विभाग की निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसके अतिरिक्त, कुछ औद्योगिक इकाइयाँ बिना पूर्ण अनुमति या मानकों के विरुद्ध संचालित होती हैं। उद्योग विभाग की उदासीनता या कभी-कभी मिलीभगत के कारण ऐसे उद्योग लंबे समय तक चलते रहते हैं। इन इकाइयों में सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और आपातकालीन सुविधाओं का अभाव होता है, जो बड़े हादसों का कारण बन सकता है। श्रमिकों की सुरक्षा के मामले में भी विभाग की भूमिका संतोषजनक नहीं रही है। अधिकांश मजदूर ठेका प्रणाली के तहत काम करते हैं, जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण नहीं मिलते। उद्योग विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों के लिए हेलमेट, दस्ताने, सेफ्टी बेल्ट और अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध हों, लेकिन वास्तविकता में यह व्यवस्था अक्सर कमजोर रहती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभाग की सक्रियता अक्सर हादसे के बाद ही दिखाई देती है। दुर्घटना होने पर जांच समितियाँ गठित होती हैं और मुआवजे की घोषणा की जाती है, लेकिन हादसे से पहले रोकथाम के उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग की कार्यप्रणाली प्रतिक्रियात्मक है, न कि निवारक। अंततः कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक हादसों के पीछे उद्योग विभाग की लापरवाही एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि विभाग अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाए, नियमित और पारदर्शी निरीक्षण सुनिश्चित करे तथा सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराए, तो इन हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। औद्योगिक विकास तभी सार्थक होगा जब उसके साथ श्रमिकों की सुरक्षा और जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

चिंताओं को फिर से सामने ला दिया है। यह जरूरी है कि कंपनियां केवल कानूनी बाध्यताओं को पूरा करने तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी गंभीरता से लें।

राजनीतिक और प्रशासनिक

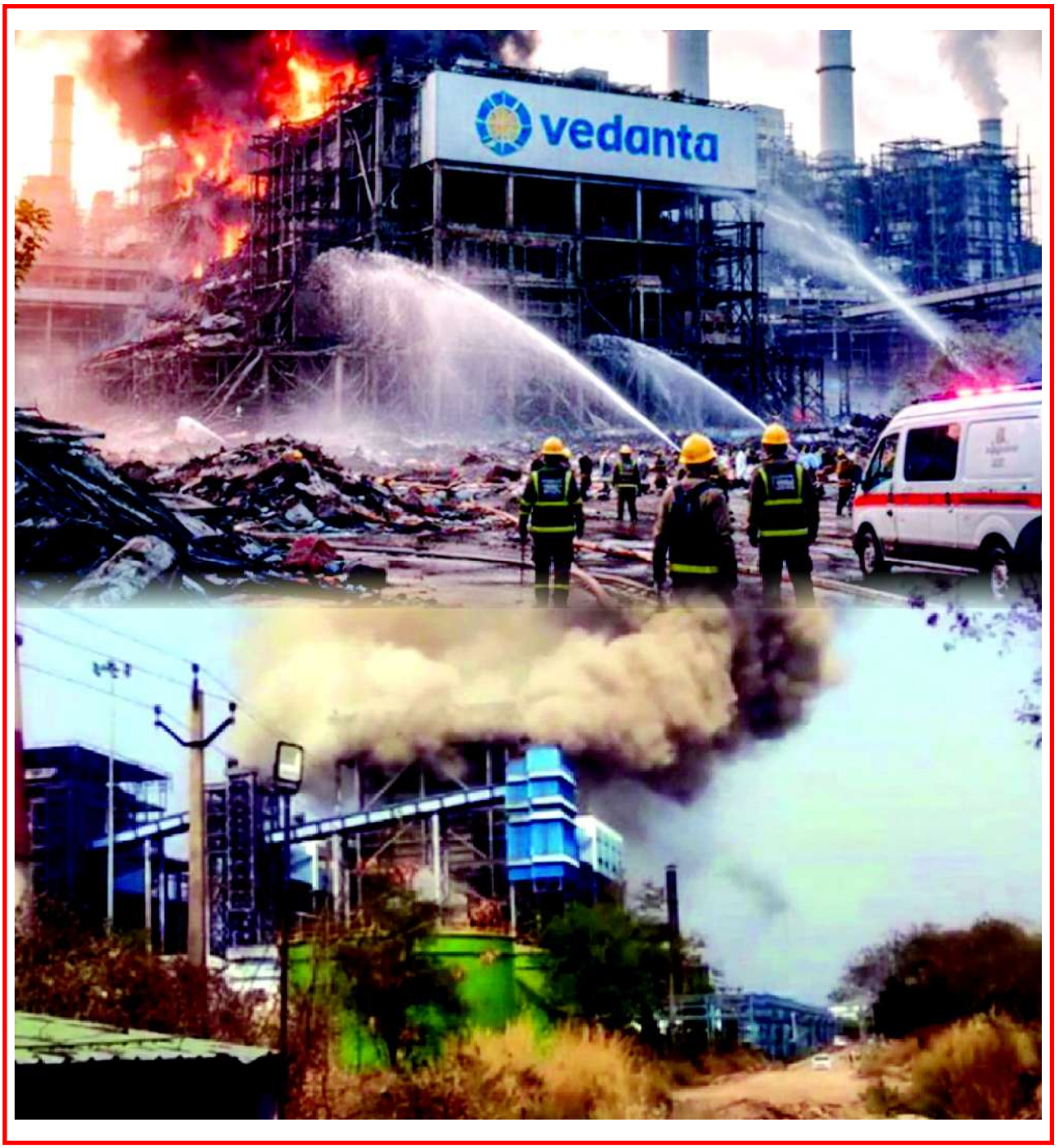

प्रतिक्रिया: इस घटना के बाद सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। यदि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होती है, तो यह एक सकारात्मक संदेश देती है कि कानून सभी के लिए समान है।

छत्तीसगढ़ मे वेदांता के प्रमुख कारखानें और पर्यावरण को नुकसान

वेदांता एक प्रमुख भारतीय खनन और धातु उत्पादन कंपनी है, जो खासतौर पर एल्युमिनियम, जिंक, तांबा, और लौह अयस्क के उत्पादन में संलग्न है। छत्तीसगढ़ में वेदांता की प्रमुख उपस्थिति उनके एल्युमिनियम और जिंक उत्पादन संयंत्रों के रूप में देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के संजोली (भिलाई) में वेदांता का एक बड़ा जिंक प्रसंस्करण संयंत्र है, जबकि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी उनकी खनन और धातु उत्पादन सुविधाएँ हैं। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में वेदांता के विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर कभी-कभी सामुदायिक और पर्यावरणीय विवाद होते रहते हैं, क्योंकि खनन और औद्योगिकीकरण के चलते स्थानीय पर्यावरण पर असर पड़ता है। वेदांता के इन कारखानों से स्थानीय पर्यावरण, जल स्रोतों और जनसमुदाय पर इसके प्रभाव के कारण भी अक्सर चर्चा होती रहती है। वेदांता ग्रुप, भारत की प्रमुख खनन और धातु उत्पादक कंपनियों में से एक है और छत्तीसगढ़ राज्य में इसका बड़ा औद्योगिक दबदबा है।

वेदांता एल्युमिनियम प्लांट (हल्दीपार)

छत्तीसगढ़ में वेदांता का एक प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र स्थित है, जिसे हिर्रापल या हल्दीपार में स्थापित किया गया है। यह संयंत्र एल्युमिनियम के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ के उत्पादन कार्यों में बोक्साइट खनन से लेकर एल्युमिनियम धातु तक की प्रक्रिया शामिल है। इस संयंत्र का संचालन छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा जिलों के आसपास के क्षेत्र में हो रहा है।

जिंक स्मेल्टर (दुर्ग)

दुर्ग जिले में वेदांता द्वारा संचालित एक जिंक स्मेल्टर संयंत्र है, जो दुनिया के सबसे बड़े जिंक उत्पादकों में से एक है। इस संयंत्र में जिंक के अयस्क को उच्च गुणवत्ता वाले जिंक धातु में परिवर्तित किया जाता है। यह संयंत्र प्रमुख रूप से जिंक के उत्पादों जैसे जिंक रिफाइनरी और जिंक फ्लोटिंग उत्पादों का निर्माण करता है।

लेकिन अगर कार्रवाई में देरी या पक्षपात नजर आता है, तो इससे जनता का भरोसा कमजोर होता है। राजनीतिक स्तर पर भी ऐसे मुद्दे अक्सर बहस का विषय बन जाते हैं। विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है, जबकि सरकार अपने

गैर-लौह धातु संयंत्र (राजनांदगांव)

राजनांदगांव जिले में वेदांता का एक प्रमुख गैर-लौह धातु संयंत्र है, जहां विभिन्न धातुओं का प्रसंस्करण किया जाता है। इस संयंत्र का उद्देश्य तांबा, जिंक और अन्य धातुओं के मिश्रण से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करना है।

खनन गतिविधियां (बस्तर और सुकमा)

वेदांता की छत्तीसगढ़ में स्थित कुछ खनन परियोजनाएँ बस्तर और सुकमा जैसे क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां बोक्साइट और अन्य खनिजों का उत्खनन किया जाता है। इन खनन परियोजनाओं से कच्चे माल की आपूर्ति होती है, जो बाद में वेदांता के विभिन्न उत्पाद संयंत्रों में प्रोसेस की जाती है। हालांकि इन खनन परियोजनाओं के लिए स्थान और पर्यावरणीय चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के मुद्दे पर संघर्ष भी होता रहा है।

पावर प्लांट (महासमुंद)

वेदांता का एक और महत्वपूर्ण निवेश छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित पावर प्लांट है, जो इसके औद्योगिक संयंत्रों को आवश्यक उर्जा प्रदान करता है। यह संयंत्र बुनियादी ढांचे के विकास और औद्योगिक इकाइयों की निर्बाध संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

वेदांता के इन कारखानों और परियोजनाओं ने छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसने कई पर्यावरणीय और सामाजिक विवादों को भी जन्म दिया है। खनन कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों के कारण स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव पड़ता है, और वन्यजीवों के आवास में नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को लेकर कभी-कभी विरोध प्रदर्शन होते हैं। इन परियोजनाओं के साथ कई सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे जुड़े हुए हैं, जिन्हें संतुलित दृष्टिकोण से हल करना आवश्यक है। राज्य सरकार, वेदांता और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद और सहयोग से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

कदमों का बचाव करती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि ध्यान पीड़ितों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर रहे।

शीर्ष प्रबंधन की भूमिका: वेदांता हादसे ने इस धारणा को चुनौती दी है कि

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक हादसों में प्रशासन की लापरवाही

छत्तीसगढ़ तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य है, जहाँ स्टील, कोयला, उर्जा और खनन क्षेत्र में बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हैं। लेकिन इन उद्योगों में लगातार हो रहे हादसे यह संकेत देते हैं कि केवल औद्योगिक विस्तार ही नहीं, बल्कि सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। दुर्भाग्य से कई घटनाओं में प्रशासन की लापरवाही एक प्रमुख कारण के रूप में सामने आई है। औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि फैक्ट्रियाँ बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों और मानकों के ही संचालित होती रहती हैं। नियमित जांच केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है। कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, लेकिन निरीक्षण की प्रक्रिया अक्सर अनियमित और सतही होती है। कई बार निरीक्षण रिपोर्टों में खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। छत्तीसगढ़ भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ पिछले दो दशकों में औद्योगिक विकास ने तेजी से गति पकड़ी है। राज्य में लौह-इस्पात, कोयला, उर्जा, सीमेंट और खनन उद्योगों का व्यापक विस्तार हुआ है। भिलाई, रायपुर और कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्र देश के औद्योगिक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन इस औद्योगिक विकास के साथ एक गंभीर समस्या लगातार उभरकर सामने आई है- औद्योगिक हादसे और उनमें प्रशासन की लापरवाही। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहाँ कोयले के विशाल भंडार, लौह अयस्क और बिजली उत्पादन की प्रचुर

जिम्मेदारी केवल नीचे के स्तर तक सीमित रहती है। जब किसी कंपनी का शीर्ष नेतृत्व जैसे चेयरमैन या बोर्ड ऑफडायरेक्टर्स जांच के दायरे में आता है, तो यह संकेत देता है कि जिम्मेदारी का दायरा व्यापक हो चुका है। किसी भी कंपनी की नीतियां, बजट

क्षमता है। इन्हीं कारणों से यहाँ बड़ी संख्या में थर्मल पावर प्लांट, स्टील फैक्ट्रियाँ और स्पंज आयरन इकाइयाँ स्थापित हुई हैं। हालाँकि, औद्योगिक विस्तार के साथ सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक था। दुर्भाग्यवश, कई मामलों में यह संतुलन नहीं बन पाया। परिणामस्वरूप, छोटे-बड़े औद्योगिक हादसे आम हो गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रमिक अपनी जान गंवाते हैं।

अवैध या मानकों से बाहर चल रहे उद्योग: कुछ उद्योग बिना पूरी अनुमति या नियमों के विरुद्ध संचालित होते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी या मिलीभगत के कारण ऐसे उद्योग लंबे समय तक चलते रहते हैं, जो बाद में बड़े हादसों का कारण बनते हैं।

हादसे के बाद ही सक्रियता: अक्सर देखा गया है कि प्रशासन केवल हादसे के बाद ही सक्रिय होता है- जांच समितियाँ बनती हैं, मुआवजे की घोषणा होती है, लेकिन हादसे से पहले रोकथाम के उपायों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

जिम्मेदारी तय करने में देरी: दुर्घटनाओं के बाद दोषियों के खिलाफकार्रवाई में देरी या ढिलाई भी एक बड़ी समस्या है। इससे उद्योगों में जवाबदेही की भावना कमजोर होती है और भविष्य में भी लापरवाही जारी रहती है। हाल के वर्षों में हुए कई हादसों - जैसे पावर प्लांट में बॉयलर विस्फोट, स्टील फैक्ट्री में ढांचा गिरना या गैस रिसाव- में प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रशासनिक निगरानी की कमी उजागर हुई है। इन घटनाओं में बड़ी संख्या में मजदूरों की जान गई, जो प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक हादसों के पीछे प्रशासन की लापरवाही एक गंभीर मुद्दा है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। बॉयलर, गैस पाइपलाइन, भट्टियाँ और भारी मशीनरी जैसे जोखिमपूर्ण उपकरणों के लिए नियमित जांच और रख-रखाव आवश्यक है। फिर भी प्रशासनिक निगरानी के अभाव में इनकी अनदेखी होती रहती है। कई बार निरीक्षण केवल कागजी कार्रवाई बनकर रह जाता है।

निरीक्षण प्रणाली की कमजोरी और भ्रष्टाचार

औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कई बार निरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा उद्योगों को पहले से सूचना दे दी जाती है, जिससे वे अस्थायी रूप से व्यवस्था सुधार लेते हैं। निरीक्षण के बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है। यह औपचारिक निरीक्षण वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहता है।

अवैध और अनियमित उद्योगों का संचालन

राज्य के कई औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के उद्योग बिना पूरी अनुमति या मानकों के विरूद्ध संचालित होते पाए गए हैं। प्रशासनिक उदासीनता या मिलीभगत के कारण ऐसे उद्योग वर्षों तक चलते रहते हैं। इन इकाइयों में सुरक्षा उपकरणों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और आपातकालीन व्यवस्थाओं का अभाव होता है, जिससे हादसों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

ठेका श्रमिक व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता

छत्तीसगढ़ के उद्योगों में बड़ी संख्या में श्रमिक ठेका प्रणाली के तहत कार्य करते हैं। ये श्रमिक अक्सर गरीब और प्रवासी होते हैं, जिन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रशासन का दायित्व है कि वह श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करे, लेकिन वास्तविकता में यह व्यवस्था कमजोर दिखाई देती है। श्रमिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती, जिससे दुर्घटनाओं में उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। औद्योगिक विकास तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक उसमें मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता न दी जाए। प्रशासन, उद्योग और समाज- तीनों को मिलकर एक जिम्मेदार और सुरक्षित औद्योगिक वातावरण का निर्माण करना होगा। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ हादसों और जनहानि का यह सिलसिला भी जारी रहेगा, जो किसी भी विकसित समाज के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता।

आवंटन, सुरक्षा पर खर्च और कार्य संस्कृति शीर्ष स्तर पर ही तय होती है। यदि प्रबंधन लागत घटाने के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता करता है या उत्पादन के दबाव में जोखिमों को नजरअंदाज करता है, तो यह एक संरचनात्मक समस्या बन जाती है।

छत्तीसगढ़ में वेदांता हादसे के बाद परिजनों ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ में वेदांता कंपनी के संयंत्र में हुए हादसे के बाद पीड़ितों के परिजनों की भावनाएँ और प्रतिक्रियाएँ गहरी चिंता, आक्रोश और न्याय की मांग से भरी हुई थीं। इस दुर्घटना ने न केवल कई परिवारों को अपना प्रियजन खोने का ग़म दिया, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि क्या औद्योगिक सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है?

दुख और ग़म का इज़हार

हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिवारों ने सबसे पहले अपनी गहरी शोक भावना व्यक्त की। उनका कहना था कि यह घटना उनके लिए अपूरणीय क्षति थी। कई परिवारों ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को पूरी तरह से खो दिया, जो उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र स्रोत था। एक मृतक के परिवार ने कहा, हमारे पास अब जीवनयापन का कोई साधन नहीं बचा है, हमारे लिए यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी पूरी दुनिया का खत्म हो जाना है। इस घटना ने न केवल उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया, बल्कि उनके दिल में भी अपार दु:ख और खालीपन छोड़ दिया।

आक्रोश और नाराज़गी

इस दुर्घटना के बाद, परिजनों में गहरा आक्रोश और नाराज़गी भी देखने को मिली। कई परिवारों ने कंपनी और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अगर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था। एक परिजन ने कहा, कंपनी ने कभी हमारे बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। वे केवल मुनाफे की बात करते हैं, लेकिन हमारे परिवारों की ज़िंदगी उनके लिए महत्त्वपूर्ण नहीं है। कुछ पीड़ित परिवारों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनियां केवल आर्थिक लाभ के पीछे भाग रही हैं और श्रमिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि यह हादसा लापरवाही और लचर सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम था।

न्याय की मांग

इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों ने एक स्वर में न्याय की मांग की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की और कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। एक मृतक के रिश्तेदार ने कहा, हम बस यही चाहते हैं कि हमे न्याय मिले, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से दूसरों को बचाया जा सके। कई परिवारों ने यह भी मांग की कि वे आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा प्राप्त करें, क्योंकि हादसे के बाद उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था।

सहायता और सुरक्षा की मांग

इस हादसे के बाद, परिजनों ने केवल न्याय की ही नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा मानकों को कड़ा करने की भी अपील की। उनका कहना था कि अगर सुरक्षा उपकरणों और उपायों का सही तरीके से पालन किया जाता तो यह दर्दनाक हादसा टल सकता था। एक परिजन ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार और कंपनी दोनों मिलकर सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करें ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे न हों। इसके अलावा, परिवारों ने स्थानीय प्रशासन से यह भी अपील की कि उन्हें मानसिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे इस कठिन समय में खड़ा हो सकें।

भविष्य में न हो ऐसे हादसे

वेदांता हादसे के बाद परिजनों के बयान केवल एक परिवार के गहरे दुख और आक्रोश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि यह औद्योगिक दुर्घटनाओं में श्रमिकों की सुरक्षा की कमी और प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हैं। पीड़ित परिवारों के लिए यह एक ऐसी घटना है, जिससे वे पूरी जिंदगी उबर नहीं पाएंगे। उनके लिए यह सिर्फ एड्ड दुखद घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन गई है। उनका यह कहना है कि यदि सख्त कदम उठाए जाएं तो शायद भविष्य में इस तरह के हादसे रोकने में मदद मिल सकती है।

इसलिए, यह तर्क मजबूत होता जा रहा है कि शीर्ष प्रबंधन को केवल रणनीतिक फैसलों तक सीमित नहीं माना जा सकता, बल्कि उन्हें उनके परिणामों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक

जिम्मेदारी: कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अर्थ केवल वित्तीय पारदर्शिता नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कंपनी अपने सभी हितधारकों- कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदाय और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रहे। वेदांता जैसे बड़े औद्योगिक समूह के मामले में यह अपेक्षा और भी बढ़ जाती है। यदि हादसा यह दर्शाता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, तो यह केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक विफलता भी है। नैतिक जिम्मेदारी का मतलब यह है कि कंपनियां केवल कानून का पालन करने तक सीमित न रहें, बल्कि उससे आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं। दुर्भाग्य से, कई मामलों में यह देखा गया है कि कंपनियां न्यूनतम मानकों तक ही सीमित रहती हैं।

नियामक संस्थाओं की जवाबदेही: केवल कंपनी को जिम्मेदार ठहराना भी पर्याप्त नहीं है। सरकार और नियामक संस्थाओं की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारत में औद्योगिक सुरक्षा के लिए कई कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका प्रभावी क्रियान्वयन अक्सर कमजोर रहता है। निरीक्षण तंत्र में कमी, संसाधनों की कमी और कभी-कभी भ्रष्टाचार के कारण नियमों का उल्लंघन बिना किसी सख्त परिणाम के होता रहता है। यदि वेदांता जैसे बड़े प्रतिष्ठान में हादसा होता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या समय-समय पर निरीक्षण ठीक से हुए थे? क्या किसी संभावित खतरे की पहले पहचान की गई थी? यदि नहीं, तो नियामक एजेंसियां भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं।

श्रमिकों और यूनियनों की भूमिका: इस चर्चा में श्रमिकों की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई बार श्रमिक जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद काम करने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास विकल्प सीमित होते हैं। यूनियनों का दायित्व होता है कि वे श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। लेकिन कई मामलों में यूनियनें कमजोर

होती हैं या उन पर दबाव होता है। यदि श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया या उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए, तो यह उनकी गलती नहीं मानी जा सकती। लेकिन यदि स्पष्ट नियमों के बावजूद उनका पालन नहीं किया गया, तो व्यक्तिगत स्तर पर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है।

ठेकेदारी व्यवस्था और जिम्मेदारी का बिखराव: आधुनिक औद्योगिक ढांचे में ठेकेदारी प्रणाली एक बड़ी चुनौती बन गई है। कई कंपनियां अपने काम का बड़ा हिस्सा ठेकेदारों को सौंप देती हैं। इससे जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण कठिन हो जाता है। वेदांता जैसे मामलों में यह देखना जरूरी है कि क्या हादसे से जुड़े कर्मचारी कंपनी के स्थायी कर्मचारी थे या ठेके पर काम कर रहे थे। यदि ठेकेदार शामिल थे, तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी? और क्या कंपनी ने उनके काम की पर्याप्त निगरानी की? अक्सर यह देखा जाता है कि ठेकेदार लागत कम करने के लिए सुरक्षा मानकों से समझौता करते हैं, और कंपनी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती। ऐसे में जिम्मेदारी कई स्तरों पर बंट जाती है।

तकनीकी और प्रणालीगत विफलताएं: औद्योगिक हादसे केवल मानवीय भूल का परिणाम नहीं होते, बल्कि कई बार तकनीकी खामियां और प्रणालीगत कमजोरियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। पुराने उपकरण, अपर्याप्त रखरखाव, खराब डिजाइन या आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की कमी- ये सभी कारक मिलकर जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यदि वेदांता हादसे में इस तरह की कोई तकनीकी विफलता सामने आती है, तो यह कंपनी की दीर्घकालिक योजना और निवेश रणनीति पर भी सवाल खड़े करेगा।

कानूनी जिम्मेदारी बनाम नैतिक जिम्मेदारी: यह समझना जरूरी है कि कानूनी जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी हमेशा एक जैसी नहीं होती। कानून यह तय करता है कि किस पर मुकदमा चलेगा और किसे सजा मिलेगी। लेकिन नैतिक जिम्मेदारी उससे कहीं व्यापक होती है। संभव है कि जांच के बाद कुछ व्यक्तियों को कानूनी रूप से दोषी ठहराया जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्य सभी निर्दोष हैं। कई बार पूरी प्रणाली की विफलता होती है, जिसे कानून पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाता। इसलिए, वेदांता हादसे को केवल कानूनी नजरिए से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे एक व्यापक सामाजिक और औद्योगिक संदर्भ में समझना होगा।

आधी आबादी के हक के लिए जद्दोजहद

विजया पाठक

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में सामाजिक न्याय और समानता के मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ गया है। नीति-निर्धारण में महिलाओं की 33 फीसदी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने वाला यह ऐतिहासिक कदम, जिसे सरकार एक महायज्ञ मान रही थी, विपक्ष के कड़े रूख के कारण परवान नहीं चढ़ सका। 2026 में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा करता था, ताकि वे सिर्फ मतदाता ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माता भी बन सकें। यह न केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं को भी बड़ा झटका है, जो संसद और विधानसभाओं में अपनी प्रभावी उपस्थिति का सपना देख रही थीं।

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में आधी आबादी की भागीदारी हमेशा चर्चा का विषय रही है। महिलाएं देश की कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं, लेकिन संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व लंबे समय तक सीमित रहा। इसी असमानता को दूर करने के उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम सामने आया। एक ऐसा कदम जिसे कुछ लोग ऐतिहासिक सामाजिक सुधार मानते हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखते हैं। सवाल अब भी वही है। क्या यह महिलाओं का हक है या फिर राजनीति का एक और अध्याय? और सबसे अहम 33 प्रतिशत आरक्षण का सपना जमीन पर कब उतरेगा? देश की राजनीति और भविष्य निर्माण में महिलाओं की भूमिका हमेशा से उल्लेखनीय रही है। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इन महिलाओं ने संविधान के मसौदे को तैयार करने और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

थी। संविधान सभा के बाद महिलाओं ने संसद में भी एंट्री ली। भारतीय लोकतंत्र के सात दशकों के सफर में संसद की संरचना में कई बदलाव आए हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी और उनका उचित प्रतिनिधित्व हमेशा से एक बड़ी चुनौती बनी रही है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से चर्चा में रहा है और इस संदर्भ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक अहम पहल माना जा रहा था। यह अधिनियम महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव करता था, जिससे महिलाओं को केवल वोट देने वाले नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि नीति-निर्माता और निर्णय-निर्माता के रूप में सामने लाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, इस अधिनियम को राजनीति की भेंट चढ़ते हुए देखा गया। सवाल यह उठता है कि क्या यह महिलाओं का हक था, या फिर इसे राजनीतिक स्वार्थ के तहत नकारा गया?

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाना था, ताकि वे न केवल चुनावी प्रक्रिया में भागीदार हों, बल्कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण की मांग दशकों से की जा रही थी और यह अधिनियम इस दिशा में एक अहम कदम था। इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने और देश की राजनीति में उनका स्थान मजबूत करने की कोशिश की गई थी। यह अधिनियम न केवल महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करता, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक कदम था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य भारतीय राजनीति में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाना था, ताकि वे न केवल चुनावी प्रक्रिया में भागीदार हों, बल्कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें। महिलाओं के लिए संसद और विधानसभा में आरक्षण की मांग दशकों से की जा रही थी और यह अधिनियम इस दिशा में एक अहम कदम था।

हालांकि यह अधिनियम महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक सुधार था, लेकिन राजनीति के इस मोहरे को लेकर बहुत विवाद हुआ। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक समावेशी और सकारात्मक कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे चुनावी राजनीति और परिसीमन से जोड़कर इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि

देश का गौरव बढ़ा रही महिलाएं - नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आज स्थानीय सरकारी निकायों में 14 लाख से अधिक महिलाएं सफलतापूर्वक कार्यरत हैं। लगभग 21 राज्यों में पंचायतों में उनकी भागीदारी लगभग 50 प्रतिशत तक पहुंच गई है। राजनीति और सामाजिक जीवन में लाखों महिलाओं की यह सक्रिय भागीदारी विश्व के अग्रणी नेताओं और राजनीतिक विशेषज्ञों को भी आश्चर्यचकित करती है और भारत के गौरव को बढ़ाती है। 2014 में करोड़ों महिलाओं ने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था। जन धन योजना ने 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए बैंक खाते खोले। पिछले 11 वर्षों में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी 6 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से 3 करोड़ से अधिक महिलाएं यह दर्जा अर्जित कर चुकी हैं।

यह किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, बल्कि यह देश के विकास का हिस्सा है। उनका मानना था कि यह विधेयक महिलाओं के लिए है, और विपक्ष इसे अपना श्रेय भी ले सकता है, बशर्ते महिलाओं को उनका हक मिल जाए। हालांकि, विपक्ष ने इसे एक राजनीतिक चाल समझा और इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि यह अधिनियम न केवल चुनावी समीकरणों को साधने का एक तरीका है, बल्कि इससे कुछ खास दलों को ही फायदा हो सकता है। विपक्ष ने यह भी कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में कोई वास्तविक बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह केवल एक राजनीतिक एजेंडा है। इस प्रकार, राजनीति की आपसी खींचतान ने इस ऐतिहासिक सुधार को अटकने और फिर

महिलाओं को निर्णायक भूमिका में लायेगा अधिनियम - डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

यह अधिनियम महिलाओं को केवल संसद और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का वादा नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर भी प्रदान करेगा। जो महिलाओं को उनके असल हक और प्रतिनिधित्व को दिलाने में सहायक होगा। जिसमें महिलाओं को केवल वोट देने वाले नागरिक से बढ़कर, नीति-निर्माण में भी उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित की जाएगी। अधिनियम का उद्देश्य न तो किसी राजनीतिक दल का एजेंडा है और न ही यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि यह समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की समान और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

समाप्त होने की दिशा में मोड़ दिया।

मध्यप्रदेश: महिलाओं को अपने अधिकार देने में अव्वल

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर हमेशा एक कमी महसूस की जाती रही है। इस संदर्भ में, मध्यप्रदेश को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि यह राज्य पहले ही महिला

मध्यप्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का हिस्सा रहा है, जिनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मध्यान्ह भोजन योजना जैसे कई कदम शामिल हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठा चुका है। मध्यप्रदेश महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं का हिस्सा रहा है, जिनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मध्यान्ह भोजन योजना जैसे कई कदम शामिल हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, राज्य में महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण पहले से ही लागू है,

जिसमें 50 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। इन पहलुओं को देखते हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण को लेकर सकारात्मक माहौल रहा है। यदि नारी शक्ति वंदन अधिनियम मध्यप्रदेश में लागू होता, तो यह राज्य में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और मजबूती दे सकता था। राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वर्तमान में बहुत कम है, और

यह अधिनियम महिलाओं को केवल मतदाता से बढ़कर नीति निर्माता बना सकता था। इससे ना केवल महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ती, बल्कि सरकारों को महिलाओं की दृष्टि और प्राथमिकताओं को समझने का भी अवसर मिलता। इस अधिनियम के तहत मध्यप्रदेश में महिलाओं को अधिक प्रमुख पदों पर काम करने का मौका मिलता, जिससे राज्य में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया जा सकता था। मध्यप्रदेश की महिलाओं की आकांक्षाएं न केवल सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित हैं, बल्कि वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी समान अधिकार चाहती हैं। राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं ने पंचायतों और स्थानीय निकायों में अपने नेतृत्व का लोहा भी मनवाया है। राज्य में महिलाएं अब जिला पंचायतों, नगर निगमों और पंचायत समितियों में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन अगर महिलाओं को विधानसभा और संसद में समान प्रतिनिधित्व मिलता, तो यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होता।

महिला आरक्षण बिल का इतिहास

भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है। 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल संसद में पेश किया गया था, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव था। इसके बाद कई बार इस बिल को पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह राजनीतिक स्वार्थों की भेंट चढ़ गया। इतिहास इस बात का गवाह है कि विपक्ष ने बार-बार महिला आरक्षण के प्रयासों को विफल किया है। वहीं 1998 से 2003 के बीच भी कई प्रयास हुए, लेकिन हंगामे और विरोध के कारण हर बार असफल रहे। यहां तक की संसद में बिल की कापी फाड़ने जैसी घटनाएं भी हुईं जो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक हैं। 2010 में राज्यसभा से बिल पास हुआ, लेकिन लोकसभा में पेश नहीं किया। 2010 में राज्यसभा से बिल पास होने के बावजूद, इसे लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया। इसने यह साबित कर दिया कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फएक विधेयक नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के भीतर एक मानसिकता की समस्या है, जहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता नहीं दी जाती। नारी शक्ति वंदन अधिनियम

का भी यही हश्र हुआ। यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि एक विचारधारा का परिणाम था, जिसमें महिलाओं के अधिकारों को लगातार नकारा जाता रहा।

राजनीति और महिला अधिकारों का संबंध

यह सवाल आज भी महत्वपूर्ण है कि क्या राजनीति महिलाओं के अधिकारों के लिए बाधक बन रही है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार ने इसे एक समावेशी और लोकतांत्रिक कदम बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश माना। यह सच है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन हर बार राजनीतिक स्वार्थों ने इसे लटकाए रखा। महिला आरक्षण का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा है। अगर महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा और समान अधिकार देना है, तो उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस दिशा में एक अहम कदम था, लेकिन यह राजनीतिक स्वार्थों के कारण असफल हो गया। अब समय आ गया है कि महिलाओं की आवाज़ को पूरी गंभीरता से सुना जाए और उन्हें राजनीति में समान अवसर मिलें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को व्यापक रूप से महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक हक माना जा रहा है। हालांकि, इसे सीधे लागू न करके भविष्य के परिसीमन से जोड़ने के कारण, यह राजनीतिक दांव-पेच का भी हिस्सा बना हुआ है। यह वास्तव में महिलाओं का सशक्तिकरण करेगा या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा, यह इसके लागू होने की गति पर निर्भर करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक ऐतिहासिक 106वां संवैधानिक संशोधन है। यह महिलाओं को नीति-निर्माता बनाकर सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में जनगणना और परिसीमन की देरी इसे 2029 से पहले लागू होने पर सवालिया निशान लगाती है, जिससे यह राजनीति का विषय भी बन जाता है।

राजनीति में महिलाओं की जमीनी हकीकत

भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या कुल सदस्यों का लगभग 14-15 प्रतिशत ही है। कई राज्यों की विधानसभाओं में यह आंकड़ा 10 प्रतिशत से भी कम है। यह आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं को राजनीतिक मंच पर बराबरी का मौका अब भी नहीं मिला है। ऐसे में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग को केवल विशेष सुविधा नहीं, बल्कि समान अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं को पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। लाखों महिलाएं सरपंच और पार्षद बनकर नेतृत्व कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है। महिलाओं का आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन सकता है। यह महिलाओं को केवल वोटर से आगे बढ़ाकर निर्णय लेने वाली भूमिका में लाने की क्षमता रखता है। लेकिन साथ ही, इसके क्रियान्वयन में देरी और राजनीतिक बहस इसे संदेह के घेरे में भी रखती है। आखिरकार, यह समाज और राजनीतिक व्यवस्था दोनों पर निर्भर करेगा कि वे इस अवसर को कैसे उपयोग में लाते हैं। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया, तो यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की आधी आबादी के लिए नई पहचान और नई ताकत का प्रतीक बन सकता है।

बीजेपी की बंगाल जीतः राजनीतिक और सामाजिक मायने

कैलाश विजयवर्गीय बंगाल विजय के असली शिल्पकार

विजया पाठक

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी ने 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। यह जीत पार्टी के पूर्वोत्तर भारत में विस्तार के सफल अभियान का चरम है, जिसने ममता बनर्जी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। यह मोदी लहर और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। 04 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा है। भाजपा ने 15 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन को समाप्त करते हुए, पहली बार राज्य में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। यह जीत केवल एक चुनावी बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की वैचारिक और राजनीतिक दिशा में एक बड़ा बदलाव है। बंगाल की विजय राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह केवल एक क्षेत्र पर अधिकार पाने की बात नहीं थी, बल्कि

भाजपा ने 15 साल के तृणमूल कांग्रेस के शासन को समाप्त करते हुए, पहली बार राज्य में ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। यह जीत केवल एक चुनावी बदलाव नहीं, बल्कि बंगाल की वैचारिक और राजनीतिक दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचाने में कैलाश विजयवर्गीय की अहम भूमिका

भारतीय राजनीति में पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से केवल सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं माना गया, बल्कि यह वैचारिक संघर्ष, राजनीतिक धैर्य और संगठनात्मक क्षमता की सबसे बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जाता रहा है। वर्षों तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव में रहने वाले बंगाल में बीजेपी का मजबूत होकर उभरना किसी सामान्य राजनीतिक घटना की तरह नहीं देखा जा सकता। यह परिवर्तन एक लंबी राजनीतिक साधना, निरंतर संघर्ष और मजबूत रणनीति का परिणाम रहा। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के केंद्र में यदि किसी एक नेता का नाम सबसे प्रमुखता से उभरता है, तो वह हैं मध्यप्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा के कुशल संगठनकर्ता कैलाश विजयवर्गीय। पश्चिम बंगाल में भाजपा की मजबूत उपस्थिति और सत्ता तक पहुंचने की राह को आसान बनाने में कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका को राजनीतिक विश्लेषक भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उन्होंने ऐसे समय में बंगाल की जिम्मेदारी संभाली थी, जब भाजपा वहां राजनीतिक रूप से सीमित प्रभाव वाली पार्टी मानी जाती थी। उस समय भाजपा का संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर था और कार्यकर्ताओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन विजयवर्गीय ने परिस्थितियों को चुनौती मानते हुए बंगाल में पार्टी के लिए नई उर्जा और नई दिशा तैयार की। 2021 में जो पार्टी 03 सीटों तक सिमटी थी वह कैलाश जी के कारण 77 तक पहुंची।

पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता संतुलन को प्रभावित करने वाली घटना थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली एकल जीत एक के बाद एक जीत की सहज प्रगति नहीं थी, बल्कि इसके लिए दशकों का संघर्ष करना पड़ा। वाजपेयी युग के दौरान ममता बनर्जी

जब विजयवर्गीय पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, आज भी भावुक हो जाते हैं कैलाश जी

लगभग पांच वर्ष पहले जब भाजपा नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को बंगाल का प्रभारी बनाकर भेजा था, तब बहुत कम लोगों ने यह कल्पना की थी कि पार्टी इतनी तेजी से राज्य की राजनीति में अपनी पैठ बना लेगी। बंगाल प्रभार के दौरान उन्होंने तमाम मुसीबतों को झेलते हुए अपने मिशन में लगे रहे। एक चुनावी सभा में जाते समय दिसम्बर 2020 में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर पत्थरों से हमला किया था। जिसमें वह बाल-बाल बचे। आज भी कैलाश जी उस मंजर को याद करके भावुक हो जाते हैं। फर्जी आपराधिक मामले दर्ज हुए, व्यक्तिगत आरोप लगाये गए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। विजयवर्गीय ने बंगाल को केवल चुनावी राज्य की तरह नहीं देखा, बल्कि वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने-बाने को गहराई से समझने का प्रयास किया। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने और आम जनता तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाने का लगातार काम किया।

मैंने 2020 में देखा भय, आतंक और गुंडागर्दी का मंजर

भोपाल से 1425 किलोमीटर का सफर कर के जब मैं 2021 के विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग करने पश्चिम बंगाल पहुँची तो इस राज्य में घुसते ही मुझे भय और एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ। कोरोना की जद से बाहर आ रहे कोलकाता शहर में एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। जैसे कोलकाता की मैंने कल्पना की थी ये वैसा नहीं था। मैंने सोचा कि कैसे कैलाश जी ऐसी जगह पर रह रहे हैं। जहाँ ना लोग अपने, ना बोली अपनी और ना ही सोच अपनी। लेकिन तब मुझे समझ आया कि पश्चिम बंगाल में ममता के चक्रव्यूह को तोड़ने और उसके गढ़ को भेदने के लिए अभिमन्यु और शिवाजी की तरह साहसी और निर्भीक व्यक्ति की जरूरत थी जो कैलाश विजयवर्गीय में देखने को मिली। मैंने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर चुनावी माहौल का जायज़ा लिया। कई जगह जाकर इंटरव्यू लिए। तब एक बात स्पष्ट होती जा रही थी कि पार्टी ने कैलाश जी को अत्यंत कठिन काम सौंपा है। उस समय पश्चिम बंगाल की जनता दो धड़ों में

की नवगठित पार्टी तृणमूल कांग्रेस को केंद्र में एनडीए सहयोगी के रूप में शामिल करने से लेकर राज्य में ममता बनर्जी के चौथे कार्यकाल के प्रयास को रोकने के लिए एकमात्र मजबूत पार्टी बनने तक, यह एक लंबा और कठिन सफर रहा है।

विभाजित थी। एक ममता के घोर समर्थक और एक ममता से बेहद आतंकित। दोनों ही स्थितियों में कैलाश जी के लिए परिस्थितियाँ विकट थीं। लेकिन उनका साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण इन सभी पर भारी था। वे पश्चिम बंगाल की धरती पर टिके रहे और अड़िग रहे और वामपंथी उग्रवाद के उस गढ़ में सेंध लगाने में सफल हुए। यकीनन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए बीज बोने का कठिन कार्य कैलाश जी द्वारा ही किया गया था।

बंगाल फतह में विजयवर्गीय का विशेष योगदान

बंगाल की राजनीति हमेशा से संघर्षपूर्ण रही है। वहां राजनीतिक हिंसा, कार्यकर्ताओं पर हमले और विरोधी दलों के लिए कठिन माहौल जैसी परिस्थितियां किसी से छिपी नहीं हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को भी लंबे समय तक इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे कठिन समय में विजयवर्गीय लगातार कार्यकर्ताओं के बीच खड़े दिखाई दिए। यही कारण रहा कि भाजपा धीरे-धीरे बंगाल के गांवों, कस्बों और शहरों तक अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल हुई। बंगाल में उन्होंने छोटे-छोटे कार्यकर्ता सम्मेलनों, जनसंपर्क अभियानों और बूथ प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया। परिणाम यह हुआ कि जो भाजपा कभी ईकाई के आंकड़े तक सीमित थी, वह देखते ही देखते 77 सीटों तक पहुंचने में सफल हो गई।

संगठन मजबूत हुआ और नेतृत्व प्रतिबद्ध रहा

वर्षों तक पश्चिम बंगाल की जनता विभिन्न समस्याओं से जूझती रही। भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा, बेरोजगारी और प्रशासनिक पक्षपात जैसे मुद्दों ने आम जनता को परेशान किया। लोगों के भीतर परिवर्तन की इच्छा तो थी, लेकिन उन्हें एक मजबूत विकल्प की तलाश थी। भाजपा ने इसी जनभावना को समझते हुए जनता के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत की। विजयवर्गीय ने इस जनआक्रोश को राजनीतिक समर्थन में बदलने का कार्य किया।

मध्यप्रदेश में भी संकटमोचन की भूमिका में विजयवर्गीय

कैलाश विजयवर्गीय ने केवल बंगाल, हरियाणा तक अपनी कुशल संगठन क्षमता को प्रदर्शित नहीं किया बल्कि वह मध्यप्रदेश में भी एक संकटमोचन की भूमिका में रहते हैं। प्रदेश में जब-जब भी पार्टी पर संकट पैदा होता है वह सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं और अपनी कुशलता से समस्या का निवारण कर देते हैं। सत्ता और संगठन में मजबूत पकड़ के चलते वह एक प्रभावी नेता की भूमिका में नजर आते हैं।

भारतीय राजनीति में बंगाल हमेशा से ही अपनी विशिष्ट राजनीतिक पहचान और महत्व के कारण चर्चा का केंद्र रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दिशा ने पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर असर डाला है। हाल के वर्षों में, भाजपा की पश्चिम बंगाल में

सफलता और चुनावी जीत ने न केवल राज्य की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं। भाजपा की बंगाल जीत केवल सीटों की संख्या या चुनाव परिणाम नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और रणनीतिक मायने हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत, निस्संदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि 2029 के लोकसभा चुनावों का परिणाम पहले से ही निर्धारित है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब सहित सात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यदि हालिया चुनावों से कुछ राजनीतिक सीख मिलती है, तो यह 2029 के राष्ट्रीय चुनावों की तुलना में अगले वर्ष होने वाले राज्य चुनावों पर अधिक लागू होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से देश की सबसे जटिल और बहुआयामी राजनीतिक प्रयोगशालाओं में गिनी जाती रही है। यहां सत्ता परिवर्तन केवल चुनावी आंकड़ों का विषय नहीं होता, बल्कि यह वैचारिक संघर्ष, सामाजिक मनोविज्ञान और जनभावनाओं की दिशा तय करने वाला राजनीतिक संकेत भी माना जाता है। ऐसे में बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफलता को लेकर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या यह जीत पहले से तय दिखाई दे रही थी या फिर यह पूरी तरह अप्रत्याशित राजनीतिक परिणाम है। यदि पिछले एक दशक की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए, तो भाजपा का बंगाल में उभार अचानक नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने धीरे-धीरे अपने संगठन को मजबूत किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया और राज्य की राजनीति में खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया। लंबे समय तक बंगाल में वामपंथ और बाद में तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव रहा, लेकिन भाजपा ने लगातार वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनने की दिशा में काम किया। इस दृष्टि से देखें तो भाजपा की जीत पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती।

यदि पिछले एक दशक की राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए, तो भाजपा का बंगाल में उभार अचानक नहीं कहा जा सकता। पार्टी ने धीरे-धीरे अपने संगठन को मजबूत किया, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं का नेटवर्क खड़ा किया और राज्य की राजनीति में खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया।

हालांकि यह भी सत्य है कि बंगाल जैसे राज्य में भाजपा को सत्ता के करीब पहुंचाने वाली परिस्थितियां अपने आप निर्मित नहीं हुईं। इसके पीछे राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और जनता के

भीतर बढ़ती असंतुष्टि भी प्रमुख कारण रही। वर्षों तक एक ही राजनीतिक संस्कृति में रहने के बाद आम मतदाता बदलाव चाहता था। बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पक्षपात जैसे मुद्दों ने जनता के भीतर असंतोष को जन्म दिया। भाजपा ने इसी असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने का प्रयास किया। भाजपा की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उसने बंगाल की राजनीति को जनसभाओं और स्थानीय मुद्दों पर निरंतर सक्रियता बनाए रखी। राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार मौजूदगी और राज्य स्तर पर आक्रामक रणनीति ने भी चुनाव को भाजपा के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।इसके साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा कि बंगाल चुनाव में भाजपा की सफलता केवल उसके संगठन की उपलब्धि नहीं थी, बल्कि विपक्ष की कमजोरियों का भी परिणाम रही। जब किसी राज्य में लंबे समय तक एक ही दल सत्ता में रहता है, तो सत्ता विरोधी भावना स्वाभाविक रूप से विकसित होने लगती है। बंगाल में भी यही स्थिति दिखाई दी। जनता के एक बड़े वर्ग ने बदलाव की संभावना के रूप में भाजपा को देखा। फिर भी इस जीत को पूरी तरह आसान या पूर्व निर्धारित नहीं कहा जा सकता। बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक संरचना हमेशा से अलग रही है। यहां बाहरी राजनीतिक प्रभावों को तुरंत स्वीकार नहीं किया जाता। भाजपा को यहां अपनी विचारधारा और नेतृत्व को स्वीकार्य बनाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। कई बार राजनीतिक हिंसा और कार्यकर्ताओं पर हमलों जैसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में भाजपा का लगातार मजबूत होना उसकी राजनीतिक धैर्य क्षमता को दर्शाता है। इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि भाजपा ने पहली बार बंगाल की

केवल चुनावी अभियान तक सीमित नहीं रखा। पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, बंगाल की अस्मिता और स्थानीय नेतृत्व को साथ लेकर जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया। यही कारण है कि भाजपा गांवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अपनी पकड़ मजबूत करने में सफल होती दिखाई दी।

इस चुनाव में भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी बात उसका संगठनात्मक विस्तार रहा। पार्टी ने बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया, राजनीति में खुद को केवल विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। यही बदलाव चुनाव परिणामों में दिखाई दिया। जनता ने भाजपा को गंभीरता से लेना शुरूकिया और यह स्थिति पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है।

अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या यह जीत स्थायी राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है या केवल परिस्थितिजन्य परिणाम। इसका उत्तर आने वाले वर्षों की राजनीति

तय करेगी। भाजपा के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती जनता के विश्वास को बनाए रखने और बंगाल की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी। केवल चुनाव जीतना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही किसी राजनीतिक दल की वास्तविक परीक्षा होती है। बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत न पूरी तरह अप्रत्याशित थी और न ही पूरी तरह निश्चित। यह लंबे राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक विस्तार, जनता की बदलती मनःस्थिति और सत्ता विरोधी लहर का संयुक्त परिणाम थी। भाजपा ने बंगाल में जिस प्रकार अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, उसने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में निरंतर प्रयास और मजबूत रणनीति किसी भी राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक वाम दलों और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। वाम मोर्चा लगभग तीन दशक तक राज्य की राजनीति में प्रमुख शक्ति रहा और उसके बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 2011 में सत्ता संभाली। इस राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की सक्रियता लंबे समय तक सीमित रही। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा ने राज्य में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति शुरू की। भाजपा की बंगाल जीत ने यह दर्शाया कि राष्ट्रीय दल स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। यह जीत पार्टी के लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक उपलब्धि है, जिसने बंगाल को केंद्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाने में मदद की।

सामाजिक और जातिगत मायने

भाजपा की सफलता केवल चुनावी रणनीति का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक आधार का भी प्रमाण है। बंगाल में धार्मिक, जातिगत और भाषाई विविधताओं के कारण राजनीतिक निर्णयों पर गहरी छाप पड़ती है। भाजपा ने विभिन्न समुदायों और सामाजिक समूहों को अपने समर्थन में लाने की रणनीति अपनाई। विशेष रू प से, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में टीएमसी की पकड़ को चुनौती देना, हिंदू बहुल और मध्यम वर्गीय मतदाताओं के बीच भाजपा की लोकप्रियता बढ़ाना और युवाओं को नए रोजगार और विकास के

बंगाल में धार्मिक, जातिगत और भाषाई विविधताओं के कारण राजनीतिक निर्णयों पर गहरी छाप पड़ती है। भाजपा ने विभिन्न समुदायों और सामाजिक समूहों को अपने समर्थन में लाने की रणनीति अपनाई।

कैलाश विजयवर्गीय

सुनील बंसल

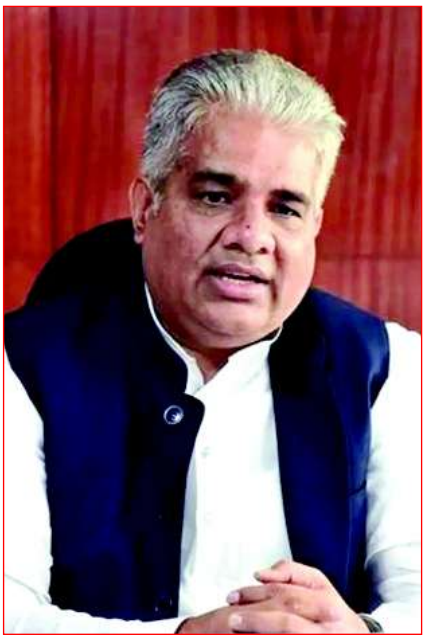

भूपेन्द्र यादव

एजेंडे के साथ जोड़ना, इस जीत के मुख्य सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं।

राजनीतिक रणनीति और संगठनात्मक मायने

भाजपा की बंगाल जीत में उसकी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक योजना का बड़ा योगदान रहा। पार्टी ने स्थानीय स्तर पर सक्रिय संगठन खड़ा किया, युवाओं और महिलाओं को संगठन में शामिल किया और सोशल मीडिया तथा डिजिटल प्रचार के माध्यम से व्यापक जनसमूह तक संदेश पहुंचाया। इसके अलावा, भाजपा ने चुनावी मुद्दों को स्थानीय जरू रतों और विकास एजेंडे से जोड़कर, टीएमसी और अन्य विरोधियों की कमजोरियों को उभारा। यह जीत दिखाती है कि पार्टी की रणनीति केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर भी प्रभावी रही।

भाजपा की बंगाल जीत के राष्ट्रीय मायने

भाजपा की बंगाल में जीत का असर केवल राज्य तक सीमित नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है:

भू-राजनीतिक महत्व: बंगाल पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक रणनीतिक स्थिति रखता है। यहां से केंद्र की नीतियों को लागू करना और विकास परियोजनाओं को स्थिर करना आसान हो जाता है।

राजनीतिक संदेश: बंगाल की जीत यह संकेत देती है कि भाजपा केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रीय राज्यों में भी अपनी पकड़ बढ़ा सकती है।

संतुलन बनाने में मदद: यह जीत राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी दलों और केंद्र सरकार के बीच संतुलन स्थापित करने में भूमिका निभाती है।

आर्थिक और विकास के दृष्टिकोण से मायने

भाजपा की बंगाल जीत का अर्थ यह भी है कि राज्य में विकास और निवेश के मुद्दों पर नई दिशा संभव है। भाजपा ने आर्थिक विकास, उद्योग और रोजगार के अवसरों को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया। यदि यह जीत सतत विकास के एजेंडे के साथ जुड़ती है, तो राज्य में निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही, यह चुनावी जीत राज्य की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी मायने रखती है। स्थिर प्रशासन और केंद्र-राज्य सहयोग से विकास योजनाओं को बेहतर गति दी जा सकती है। भाजपा की बंगाल जीत का एक और पहलू यह है कि यह राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता में राजनीतिक संवाद को बढ़ावा देती है। चुनावी जीत ने विभिन्न समूहों को राजनीतिक मंच पर भागीदारी का अवसर दिया। हालांकि, इस प्रक्रिया में सामाजिक संतुलन और समावेशिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार, भाजपा की बंगाल जीत केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति में नए समीकरणों, विकास एजेंडे और सामाजिक संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

परमाणु युद्ध में न बदल जाए होर्मुज का टकराव

प्रमोद भार्गव

अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे चली शांति समझौते की वार्ता विफल रही। आशंकाएं भी यही थीं कि जब तीन राष्ट्रों के बीच संप्रभुता के प्रश्न खड़े हों, तो फिर शांति समझौता कैसे संभव है? अब तो युद्ध विराम के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं। होर्मुज में अमेरिका द्वारा की गई नाकाबंदी के बाद इस उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है कि एक बार फिर शत्रु देश समझौते के लिए बातचीत को तैयार होंगे। अमेरिका और ईरान जिस तरह का हठ दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस जंग का अंतिम निर्णय घातक हथियारों से ही होगा? इजराइल तो वार्ता के दौरान भी बम फोड़ता रहा। हालांकि संघर्ष विराम के दो सप्ताह बीतने के बाद जब यह युद्ध फिर से आरंभ होगा तो इसका असर व्यापक दिखाई देगा? दुनिया तीसरे युद्ध का सामना भी करने को विवश हो सकती है? ऐसा हुआ तो इस युद्ध के परिणाम शत्रु संहार के ऐसे कारण भी बन सकते हैं कि युद्ध में जापान की तरह अमेरिका परमाणु हथियारों से भी ईरान पर हमला बोल दे?

> **अमेरिका और ईरान जिस तरह का हठ दिखा रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस जंग का अंतिम निर्णय घातक हथियारों से ही होगा?**

वार्ता में विवादित मुद्दों को लेकर हठ दृढ़ता से कायम रहा। नतीजतन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ अपने-अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ स्वदेश लौट गए।

वार्ता में ईरान जहां होर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग नियंत्रण मुक्त नहीं करने पर अड़ा रहा, वहीं अमेरिका ईरान को इस बात के लिए भी राजी नहीं कर पाया कि वह यूरेनियम संवर्धन परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही प्रश्न ईरान के लिए सामरिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े सवाल बन गए हैं। अतएव सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया। उसने होर्मुज पर अपना अधिकार बनाए रखा है, जो इस युद्ध में एक मुख्य हथियार के रूप में उभरकर सामने आया है। हालांकि अब अमेरिका ने इस जल क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। ईरान ने इस जल क्षेत्र में छोटी पनडुब्बियों, टारपीडो, तेज नावों और समुद्री बारूद के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया की तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है। टारपीडो स्वचालित एक ऐसा सिगार के आकार की पानी के भीतर चलने वाला बारूदी मिसाइल है, जिसे दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने दावा किया है कि जल-तल में छिपी बारूद को निष्क्रिय करने में ब्रिटेन मदद करेगा। किंतु ब्रिटेन ने किसी भी प्रकार की मदद करने के वादे से इंकार किया है। हालांकि स्वयं यूएस के पास होर्मुज जल क्षेत्र को बारूद मुक्त करने के लिए मानवरहित ड्रोन तकनीक मौजूद है। लेकिन ईरान ने कुटिलता बरतते हुए इस जल क्षेत्र में इंफ्लुएंस माइनिंग का जाल बिछाया हुआ है। यह जहाजों के भार और चुंबकीय तरंगों के प्रभाव से विस्फोट के साथ फटती हैं और तेल से भरे जहाज को आग के हवाले करने में सक्षम होती हैं।

इस बेनतीजा रही वार्ता से नाराज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नौसेना को जलडमरू मध्य में नाकाबंदी करने के निर्देश दे दिए हैं। ट्रंप ने दुनिया के देशों को यह चेतावनी भी दी है कि जो भी

सैन्य दबाव के बावजूद ईरान ने अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया। उसने होर्मुज पर अपना अधिकार बनाए रखा है, जो इस युद्ध में एक मुख्य हथियार के रूप में उभरकर सामने आया है। हालांकि अब अमेरिका ने इस जल क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी शुरूकर दी है। ईरान ने इस जल क्षेत्र में छोटी पनडुब्बियों, टारपीडो, तेज नावों और समुद्री बारूद के जरिए यह साबित कर दिया है कि वह दुनिया की तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है।

देष होर्मुज स्ट्रेट पार करने के लिए ईरान को शुल्क देगा उसे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। केवल उन जहाजों को छूट मिलेगी, जो अमेरिका के मित्र देशों से तेल खरीदेंगे। अमेरिका का यह इकतरफा प्रतिबंध भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने का हठ है। इस हठ के चलते जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वहीं दुनिया में उर्जा संकट गहराने लग जाएगा। लिहाजा अमेरिका को इस तरह के बेजा प्रतिबंध से मुक्त रहने की जरूरत है। अमेरिका को यह भी सोचने की जरूरत है कि ईरान की अर्थव्यवस्था अब केवल तेल के निर्यात पर निर्भर नहीं रह गई है। पिछले दो दशक में उसने विनिर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात करके भी अपनी जीडीपी को मजबूत किया है। ईरान की कुल जीडीपी में तेल की भूमिका मात्र एक चौथाई रह गई है। बावजूद ईरान का होर्मुज पर जबरन कब्जा और शुल्क वसूली पूरी तरह अवैध है। क्योंकि जलडमरूमध्य दुनिया के अनेक उन समुद्री मार्गों जैसा है, जिन पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं है। समुद्री मार्गों से सभी देशों के जहाज और नौकाओं को आवागमन का स्वतंत्र अधिकार है। ईरान इस पर बेजा अधिकार जमाया तो यह उसके शुभचिंतक देशों के लिए भी ठीक नहीं लगेगा। परंतु ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा है कि शत्रु देश की अनुचित कार्यवाही के घातक परिणाम निकलेंगे। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) अमेरिकी नाकाबंदी पर चौतरफा निगरानी रखे हुए हैं। अतएव यह आशंका प्रबल है कि जब भी अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से गुजरेंगे तो उनपर ईरान बम वर्षा किए बिना नहीं चूकेगा। दोनों देशों में समझौते की स्थिति तभी निर्मित होगी, जब वे अपनी-अपनी हठवादिता को शिथिल करें।

समुद्री मार्गों से सभी देशों के जहाज और नौकाओं को आवागमन का स्वतंत्र अधिकार है। ईरान इस पर बेजा अधिकार जमाया तो यह उसके शुभचिंतक देशों के लिए भी ठीक नहीं लगेगा। परंतु ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए कहा है कि शत्रु देश की अनुचित कार्यवाही के घातक परिणाम निकलेंगे।

ईरान की बाधाओं से समुद्री व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में बीमा कंपनियां जहाजों पर हमले होते हैं, तो वे बीमा की राशि नहीं चुकातीं। इस कारण व्यापारिक सामान से लदे जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो जाती है। इस जलमार्ग पर स्थिति इसलिए और चिंताजनक हो गई है, क्योंकि अब ईरान कह रहा है कि उसने जो समुद्री माइंस बिछाईं थीं, अब उसे खुद ही उनकी सटीक जानकारी नहीं है, कि वे कहां बिछाई गई हैं। परंतु इसे एकाएक ईरान की भूल नहीं कहा

जा सकता है? यह झूठ फैलाना उसकी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है? इस सिलसिले में विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है। अतएव यह दावा ईरान का अमेरिका को झुकाने के लिए शतरंज की बिसात पर चला दांव भी हो सकता है? ईरान की मंशा यह भी हो सकती है कि इन बारूदी सुरंगों की वास्तविक स्थिति की चूक का बहाना बनाकर अमेरिका और इजरायल पर वैश्विक दबाव बनाकर भविष्य की शांति वार्ता में अपनी शर्तें मनवा ली जाएं? लेकिन तात्कालिक परिस्थितियां ऐसे संकेत दे रही हैं कि अमेरिका और इजरायल मिलकर युद्ध की रणनीति को और उकसाने का काम कर रही हैं। इस समूचे घटनाक्रम का अह्म पहलू यह भी है कि युद्ध का प्रभाव सीमाओं का उल्लंघन करते हुए दुनिया को संकट में डाल सकता है। इसका सबसे बुरा असर भारत जैसे उन विकासषील देशों को झेलना पड़ सकता है, जहां बढ़ती महंगाई और तेल की कमी जैसी समस्याएं पूर्व से ही मौजूद है। वैसे भी भारत 80 प्रतिशत से ज्यादा तेल की आपूर्ति आयात से करता है। दरअसल अमेरिका ईरान पर इकतरफा समर्पण जैसी शर्तें थोपकर समझौता करना चाहता है। जबकि समझौते में दूसरे पक्ष को भरोसे में लेना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होगा तो ट्रंप पश्चिम एशिया की शांति भंग करने के जिम्मेदार तो होंगे ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो भारी हानि होगी उसके लिए भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरह की उनकी सनक और मनमानियां देखने में आ रही हैं, उससे तो लगता है कि ट्रंप की सनक कायम रही तो वे ईरान पर परमाणु हमला भी कर सकते हैं। मध्यस्थता करने वाले पाकिस्तान का दोगलापन और स्वार्थ भी इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर सकता है।

न्यायपालिका संदिग्ध न बने

रघु ठाकुर

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने शालेय शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक में न्यायपालिका के संबंध में जो लेख प्रकाशित किया है उसे लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश काफी विचलित हुए। सार्वजनिक रूप से की गई टिप्पणियों में उन्होंने एनसीईआरटी की पुस्तक में इस लेख के प्रकाशन पर न केवल आपत्ति की है बल्कि सार्वजनिक रूप से उसे न्यायपालिका के सम्मान पर सुनियोजित हमला माना है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे क्षम्य नहीं माना जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सार्वजनिक प्रतिक्रिया के बाद सरकार सक्रिय हुई। एनसीईआरटी ने उस लेख को हटाने की घोषणा की और लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। उस माफी का सार्वजनिक प्रकाशन भी हुआ। इसके बावजूद मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने ऐसे संकेत दिए हैं कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। स्वाभाविक था कि उनकी भावना व तेवर देखकर भारत सरकार इसका संज्ञान लेती। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में उल्लेख करते हुए कहा कि यह गंभीर घटना है इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याने किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा कर दंडित किया जाना संभावित तय है। एनसीईआरटी संसद द्वारा

> **प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में उल्लेख करते हुए कहा कि यह गंभीर घटना है इस पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। याने किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहरा कर दंडित किया जाना संभावित तय है।**

पारित कानून के तहत गठित एक स्वतंत्र इकाई है जिसे देश के शिक्षण संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम तय करने का दायित्व दिया गया है। एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम के लिए लेख चुनने हेतु एक कमेटी बनाई थी जिसमें सुमित पंत और श्रीमती सुधा मूर्ति भी शामिल है। सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति की पत्नी हैं और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सुनक की सास हैं। शायद इसी वजह से उन्हें भारत सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया है। वैसे भी पाठ्यक्रम निर्धारण समिति के सभी सदस्य परिषद द्वारा नामजद होते हैं और प्रत्यक्ष व परोक्ष रू प से वे सरकार के नामजद जैसे होते हैं। अगर इस समिति ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के विषय को शामिल किया है और यदि यह गलत है तो इसकी जवाबदारी भले उपरी तौर पर या सामने से समिति या परिषद की नजर आती हो पर यह जवाबदारी भारत सरकार तक भी जाती है।

हालांकि मैं इस लेख के प्रकाशन में कुछ भी अनुचित या न्यायपालिका के सम्मान को गिराने वाला नहीं मानता। इस लेख में छापा गया है कि न्यायपालिका के जजों के खिलाफ 8600 शिकायत प्राप्त हुई हैं। लगभग 50 लाख प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कई करोड़ प्रकरण न्यायालयों में विचारार्थ लंबित है। यह संख्या भी तब है जब उच्चतम न्यायालय की पहल पर सरकार ने लोक अदालत का कानून पारित किया है। लाखों सामान्य या छोटे मामले लोक अदालत में हल किये जा रहे हैं। हालांकि लोक अदालत की कार्यवाही को जहां तक मैंने देखा और समझा है वह न्याय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। बिजली, पानी, ट्रैफिक, छोटे-मोटे कर्ज आदि जो विषय लोक अदालत में चिह्नित किए गए हैं वह लोक अदालत के जज साहब के सामने निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत किए जाते हैं। लोक अदालत की तारीख की सार्वजनिक घोषणा की जाती है। बहुत सारे मामलों में तो आपस में विभाग और पक्षकार मिलकर मामला निपटाते हैं। अनेक ऐसे प्रकरण होते हैं जिन्हें पक्षकार लड़ना चाहता है परंतु लंबी-लंबी तारीखों में पेशियों करने अपील दर अपील लड़ते-लड़ते जब न्याय नहीं मिलता तो थक कर समर्पण कर देता है और लोक अदालत के समझौते के नाम पर स्वीकृति देता है।

लंबित प्रकरण निपटाने के लिए शीर्ष न्यायालयों ने पिछले दिनों चेंबर हियरिंग की प्रथा भी शुरू की जिसमें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वालों या उनके वकीलों को सुने बगैर ही न्यायाधीश फैसला कर देते हैं। फैसला क्या होता है, बल्कि अधिकांश मामले खारिज कर दिए जाते हैं। ये चेम्बर हियरिंग वस्तुतः न्यायिक प्रक्रिया को स्वतः न्यायालय द्वारा खंडित करना है, यह एक प्रकार से तो हियरिंग जैसा है। सामान्य आम आदमी और गरीबों के

फैसलों के लिए लोक अदालत हैं लेकिन अमीरों के अरबों खरबों के बैंक चोरी के मामलों के लिए आर्बिट्रेशन सिस्टम है जिसमें सेवानिवृत न्यायाधीश को आर्बिट्रेटर बनाया जाता है। वे पंचायत कर अरबों खरबों के मामले निपटा देते हैं। अगर आर्बिट्रेशन कमेटी के निर्णयों की समीक्षा की जाए तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। सरकारी धन के चोरी या न-अदायगी के जिम्मेदार लोग बड़े आर्थिक और कारावास

देश की मीडिया में प्रमुखता से छपी थी। बाद में पत्रकार वार्ता करने वाले न्यायाधीशों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने। परंतु इतनी बड़ी घटना से उच्चतम न्यायालय की साख और सम्मान पर चोट नहीं पहुंची। कुछ दिनों पूर्व पुणे के एक लॉ कालेज में बोलते हुए स्वतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुयान ने सरकार के कहने पर हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर करने को कालेजियम का गलत निर्णय सार्वजनिक

सरकार अविश्वसनीय है, संसद पर भरोसा नहीं, नौकरशाही पर भरोसा नहीं, केवल न्यायपालिका ही विश्वास का आखिरी केंद्र है। यदि न्यायपालिका से विश्वास उठेगा तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। लोग हिंसा की ओर मुड़ेंगे और उसके लिये लाचार होंगे। हालांकि मैं यह भी मानता हूं कि एक नागरिक के नाते न्यायपालिका की कार्य पद्धति पर चर्चा या टिप्पणी करना एक नागरिक का अधिकार है जिसे दबाना या

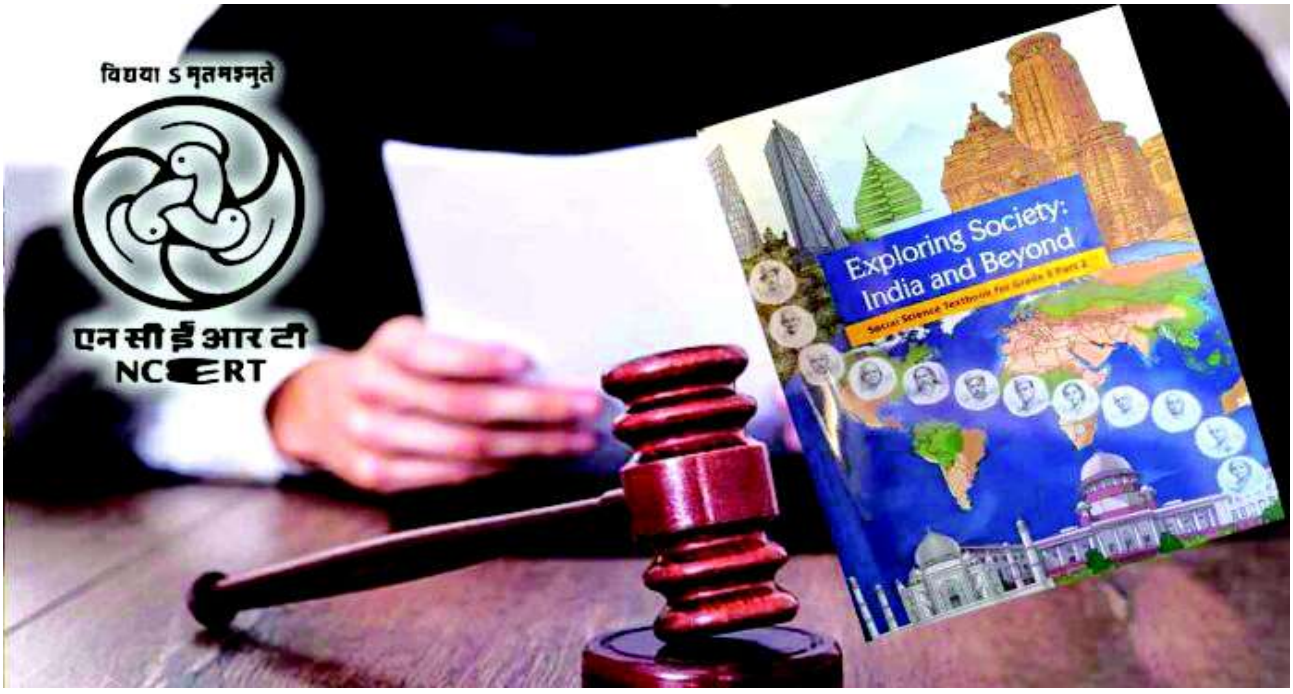

के दंड से बच जाते हैं।

याचिकाओं के नाम पर प्रतिदिन कई घंटे सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के व्यय होते हैं जिनमें उन पर मार्मिक टिप्पणी होती है परंतु फैसले नहीं होते। पता नहीं अदालतों ने कभी इस पर विचार क्यों नहीं किया। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था और कार्य वितरण के खिलाफ तो कितनी ही बार आवाज उठी है। उच्चतम न्यायालय के ही चार न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की थी, जो सारे

रूप से कहा पर क्या इससे कोर्ट के सम्मान पर चोट नहीं पहुंची? जो पाठ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था वस्तुतः उसमें न्यायपालिका के खिलाफ कुछ भी नहीं है। केवल वे सूचनाएं दर्ज की गई हैं जिन्हें संसद में एक प्रश्न के उत्तर में भारत के विधिमंत्री ने बताया था। ये सूचनाएं देश के सभी अखबारों व मीडिया में पहले भी आई हैं।

मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता हूं। चाहता हूं कि न्यायपालिका की साख सुरक्षित रहे। मैंने लगातार कई कई लेखों में लिखा भी है कि देश की जनता के समक्ष

रोकना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के अधिकार को सिकोड़ना या सीमित करना होगा। अगर देश के छात्रों को यह मालूम हो जाए कि न्यायपालिका के जजों के खिलाफ कितनी शिकायतें लंबित है या कितने प्रकरण सुनवाई के लिए लंबित हैं तो इसमें न्यायपालिका का क्या बिगड़ने वाला है। यह तो और भी अच्छा होता कि लोग न्यायपालिका के प्रति और अधिक सजग होते। शायद प्रत्युत्तर में न्यायपालिका भी अपने दायित्व को और अधिक जिम्मेदारी के साथ पूरा कर पाती या करने के लिए

NCERT की किताब पर CJI की सख्त टिप्पणी

"Justice delayed is justice denied"

On account of multiple reasons, such as a lack of an adequate number of judges, complicated legal procedures, and poor infrastructure, the judicial system in our country has a massive backlog. Look at the data from the National Judicial Data Grid given below (as of March 2025):

Number of pending cases (approximate):	
Supreme Court	81,000
High Courts	62,40,000
District and other Subordinate Courts	4,70,00,000

Note: These numbers need not be memorised.

While the number of pending cases shows part of the problem, the real issue is the long time it takes to resolve a case in court. In the High Courts, for example, nearly three-fourths of pending cases have been unresolved for over a year, and half of them have been pending for more than three years. Some cases have even remained unresolved for more than 50 years!

प्रेरित होती।

यह भी सोचना होगा कि पिछले दशकों में कितने ऐसे प्रकरण मीडिया में आए हैं जिनमें माननीय न्यायाधीशों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कई के खिलाफ संसद में महाभियोग भी आया और राजसत्ता तथा न्यायपालिका के मिले-जुले प्रयास से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या फिर संसद और न्यायपालिका दोनों चुप हो गईं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के जज वर्मा के घर रूपयों का ढेर पाया गया। यहां तक की सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति ने भी इसके लिए जज साहब को जिम्मेदार माना। पर अभी तक उनके खिलाफ न कोई कार्रवाई हुई न वह गिरफ्तार हुए न उन्हें जेल में डाला गया। न्यायाधीश कल्पना करें कि ऐसी घटना किसी अन्य के साथ होती तो शासन व न्यायपालिका का क्या व्यवहार होता। मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बगैर मैं इतना तो इंगित करना ही चाहता हूं कि लालूप्रसाद यादव, संजय सिंह, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, डी राजा, मनीष सिसोदिया और कितने ही ऐसे अन्य नाम लिखे जा सकते हैं जिनके घर से एक रूपया भी प्राप्त नहीं हुआ परंतु महीनों या सालों न्यायपालिका के आदेश से जेल में रखे गए। न्यायाधीश के घर से बड़ी संख्या में रूपए प्राप्त हुए। वे स्वस्थ और सकुशल है। इससे न्यायपालिका की साख बढ़ी है या घटी है? इसका फैसला स्वयं न्यायपालिका को करना होगा।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से पहले देश में शायद ही किसी को पता होगा कि इस किताब के पाठ में क्या छपा है? आज देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर उस पाठ की चर्चा है। छिपाने से या हटाने से और अधिक प्रचार होता है। अगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी और कार्रवाई के बजाय इसे लोकतांत्रिक तरीके से लिया होता तथा अपनी ओर से एक सूचना जारी करते की उस पाठ्यक्रम में यह भी शामिल कराया जाए कि जो शिकायतें मिली है उनमें कितनों की जांच हुई, कितनी सही या गलत पाई गईं, जो सही पाई गईं उन पर दोषियों को क्या दंड मिला, इससे न केवल न्यायालय की निष्पक्षता व संवैधानिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होती बल्कि साख भी बढ़ती। मैं अभी भी सर्वोच्च न्यायालय से अपील करूंगा कि वे पाठ्यक्रम को हटाने व दंड देने की भाषा के बजाय इसे सूचना के रूप में देखें व न्यायपालिका की ओर से एक टिप्पणी प्रकाशित करने भेजें। यह शायद उच्चतम न्यायालय की साख को न केवल सुरक्षित रखेगा बल्कि बड़ी उंचाई पर ले जाएगा। हाँ इस पाठ का शीर्षक के अवश्य बदला जाना चाहिए, क्योंकि शीर्षक, आक्रमक व गलत संदेश देता है परंतु शायद शीर्ष कोर्ट तो अपनी ही पीठ को हटाना चाहता है एनसीआरटी ने दो सदस्यीय समिति इसके पुनरीक्षिण के लिए बनाई पर उसने भी थोड़ा स्वरूप बदलकर वही पाठ छापने को दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पर भी आक्रोशित हैं और कुल मिलाकर न्यायपालिका स्वतः ही अपने आपको संदिग्ध बना रही है।

फिल्में समाज का आईना या रक्तरंजित हिंसा का उभरता प्रतिबिंब?

नीलेश वर्मा

फिल्में समाज का आईना हैं, जो जीवन के उतार-चढ़ाव, प्रेम, संवेदना, संघर्ष, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का संतुलित चित्रण प्रस्तुत करती हैं। किंतु कुछ समय से यही आईना रक्तरंजित दृश्यों और नायक की क्रूरता से लाल होता जा रहा है। बदलते दौर में चलचित्रों का स्वरूप तेजी से परिवर्तित हुआ है और अब परदे पर नायक का चरित्र पारंपरिक आदर्शों से हटकर खलनायक से अधिक आक्रामक, प्रतिशोधी और हिंसक रूप में उभर रहा है। यह बदलाव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित करने वाला है, क्योंकि युवा मन स्वभाव से अनुकरणीय होता है, जो अपने सामने प्रस्तुत आदर्शों और व्यक्तित्वों को सहज ही आत्मसात कर लेता है। जब फिल्मों में नायक को हिंसा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाया जाता है और उस हिंसा को साहस, शक्ति तथा सफलता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तब यह संदेश युवाओं के मन में गहराई से स्थापित हो जाता है। परिणामस्वरूप वे वास्तविक जीवन में भी आक्रामकता को उचित मानने लगते हैं, जिससे सहिष्णुता, धैर्य और संवेदनशीलता जैसे मानवीय गुणों का क्षरण होने लगता है तथा समाज में असहिष्णुता और त्वरित प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यह स्थिति सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है।

आज भारत में हिंसात्मक फिल्मों की

बदलते दौर में चलचित्रों का स्वरूप तेजी से परिवर्तित हुआ है और अब परदे पर नायक का चरित्र पारंपरिक आदर्शों से हटकर खलनायक से अधिक आक्रामक, प्रतिशोधी और हिंसक रूप में उभर रहा है।

बढ़ती लोकप्रियता का प्रमुख कारण बाज़ारवादी दृष्टिकोण है, जो एक बड़े व्यावसायिक उपक्रम के रूप में विकसित हो चुका है। फिल्म निर्माता अब दर्शकों की रूचि के अनुरूप ऐसे विषयों को प्राथमिकता देते हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सकें। फिल्मों में हिंसा, उत्तेजना, गाली-गलोच और रोमांच ऐसे तत्व हैं जो दर्शकों में त्वरित आकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त,

डिजिटल मंचों के विस्तार ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, जहाँ पारंपरिक नियंत्रण के अभाव में अधिक स्वतंत्रता के साथ क्रूर और अवास्तविक हिंसा को प्रस्तुत किया जा रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में अनेक फिल्मों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिंसा पर आधारित कहानी भी व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है। जिनमें प्रमुख है एनिमल जिसमें नायक के उग्र और हिंसक रूप को प्रमुखता दी गई और उसे दर्शकों का व्यापक समर्थन भी मिला। इसी प्रकार किल में सीमित परिवेश के भीतर अत्यधिक क्रूर संघर्ष को प्रस्तुत कर तीव्र प्रभाव उत्पन्न किया गया। मार्को जैसी फिल्मों ने अपनी रक्तरंजित प्रस्तुति के कारण विशेष चर्चा प्राप्त की, जबकि हाल की धुरंधर और ओ रोमियो में भी रक्तरंजित हिंसक आक्रामकता और प्रतिशोध की भावना को प्रमुख स्थान दिया गया है। यह प्रवृत्ति केवल भारतीय सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर भी ऐसे चलचित्रों की संख्या और लोकप्रियता में वृद्धि हो रही है।

वर्तमान परिस्थिति में चलचित्र प्रमाणन से संबंधित संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत में यह दायित्व केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास है, जो फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है तथा आवश्यकतानुसार

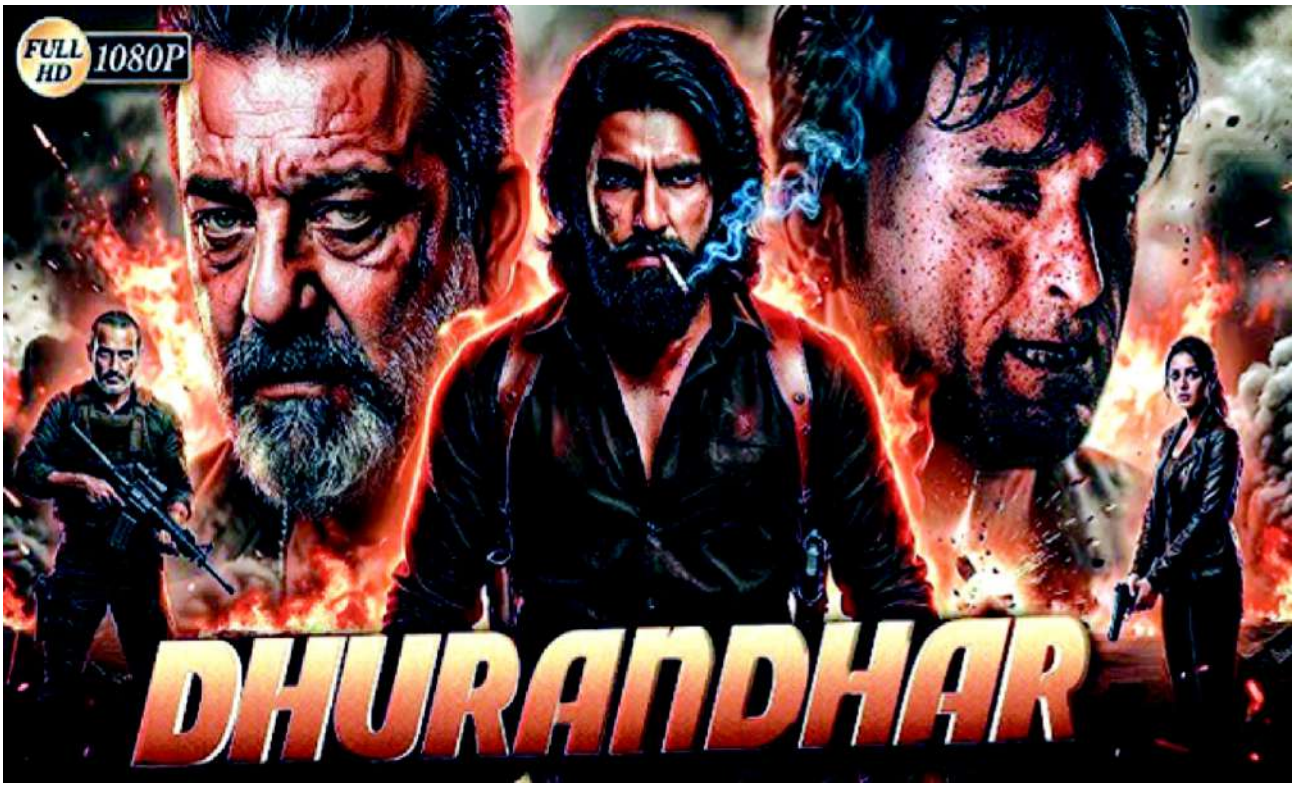

आपत्तिजनक दृश्यों में संशोधन भी कराता है। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह व्यवस्था केवल औपचारिकता तक सीमित रह गई है या वास्तव में समाज के व्यापक हितों की रक्षा कर पा रही है। कई बार अत्यधिक हिंसात्मक दृश्यों को केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, जबकि उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव समाज और विशेषकर युवाओं पर ही पड़ता है। इसलिए यह विषय अधिक गंभीरता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता को प्रकट करता है।

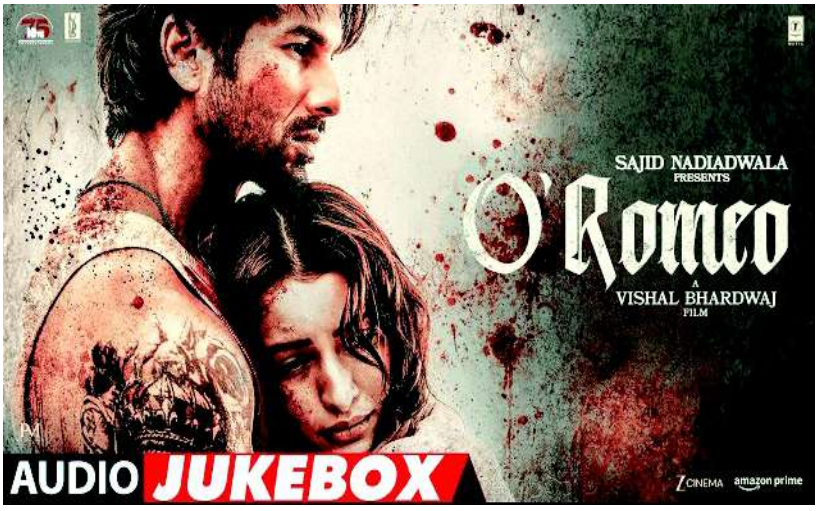

आज हमें स्वीकार करना होगा कि फिल्में समाज का दर्पण हैं, जो केवल प्रतिबिंब ही प्रस्तुत नहीं करतीं, बल्कि भावी पीढ़ी और समाज को दिशा भी देती हैं। फिल्मों में हिंसा का चित्रण यथार्थ के संदर्भ में सीमित रहे, तो वह समाज को जागरूक कर सकता है, किंतु जब वही हिंसा रक्तरंजित होकर मनोरंजन का प्रमुख साधन बन जाती है, तब वह चिंता का विषय बन जाती है। वर्तमान परिस्थितियाँ संकेत करती हैं कि यदि फिल्मों में दिखाई जाने वाले हिंसात्मक चित्रण में संतुलन स्थापित नहीं किया गया, तो यह प्रवृत्ति युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की बजाय उसे विचलित और भ्रमित कर सकती है। इसलिए अब आवश्यक हो गया है कि भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करे और ऐसी सामग्री प्रस्तुत करे, जो मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने में सहायक हो।

सीमाओं से परे उठनाः आधुनिक भारतीय महिला

डॉ. विजय गर्ग

भारत में एक महिला होने का अर्थ है परंपरा और परिवर्तन, संघर्ष और ताकत, सीमा और असीम संभावनाओं के जटिल ढांचे के भीतर रहना। यह एक ऐसी पहचान है जो सदियों के इतिहास, विकसित होते सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के बीच निरंतर बातचीत से निर्मित हुई है। भारतीय नारीत्व को एक ही कथा से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह देश की तरह विविध है। इसमें गांवों और महानगरों, कक्षाओं और बोर्डरूम, घरों और वैश्विक प्लेटफार्मों का समावेश है।

शक्ति और लचीलापन की विरासत

द्रौपदी और सीता जैसी पौराणिक हस्तियों से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक प्रतीकों तक, भारतीय महिलाओं ने साहस, बलिदान और नेतृत्व को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने अन्याय, असमानता और सामाजिक बाधाओं के विरुद्ध शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं।

भारत में महिलाओं की कहानी नई नहीं है। यह प्राचीन, बहुस्तरीय और शक्तिशाली है। द्रौपदी और सीता जैसी पौराणिक हस्तियों से लेकर रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक प्रतीकों तक, भारतीय महिलाओं ने साहस, बलिदान और नेतृत्व को मूर्त रूप दिया है। उन्होंने अन्याय, असमानता और सामाजिक बाधाओं के विरूद्ध शाब्दिक और प्रतीकात्मक दोनों तरह की लड़ाइयाँ लड़ी हैं।

यह विरासत आज भी अनगिनत रूपों में जारी है: महिलाएं आंदोलनों का नेतृत्व कर रही हैं, विज्ञान में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं, नीतियां बना रही हैं, तथा

सफलता को अपनी शर्तों पर पुनः परिभाषित कर रही हैं।

परंपरा और आधुनिकता के बीच

भारतीय समाज अक्सर महिलाओं को परंपरा के केंद्र में रखता है। उन्हें संस्कृति, मूल्यों और पारिवारिक सम्मान के संरक्षक के रूप में देखा जाता है। हालांकि यह भूमिका सम्मान लाती है, लेकिन इसके साथ व्यवहार, उपस्थिति और जीवन के विकल्पों से भी अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं।

साथ ही आधुनिक भारत एक बदलाव का गवाह बन रहा है। महिलाएं नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ शिक्षा, करियर और स्वतंत्रता का अनुसरण कर रही हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच का तनाव एक दोहरा बोझ पैदा करता है: व्यक्तिगत पहचान बनाते हुए सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना।

शिक्षा: सशक्तिकरण की ओर पहला कदम

भारत में महिलाओं के जीवन को बदलने में शिक्षा सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक रहा है। सावित्रीबाई फुले जैसे सुधारकों से प्रेरित पहलों ने लड़कियों की शिक्षा की नींव रखी।

आज, पहले से कहीं अधिक लड़कियां स्कूलों और विश्वद्यालयों में प्रवेश कर रही हैं। शिक्षा न केवल रोजगार के द्वार खोलती है, बल्कि आत्मविश्वास, जागरूकता और सूचित निर्णय लेने की क्षमता भी पैदा करती है। फिर भी, चुनौतियां बनी हुई हैं - छूट की दर, शीघ्र विवाह और असमान पहुंच अभी भी कई क्षेत्रों में प्रगति में बाधा डालती है।

आर्थिक भागीदारी और स्वतंत्रता

भारतीय महिलाएं तेजी से कार्यबल में शामिल हो रही हैं, चाहे वह कृषि, उद्यमिता, कॉर्पोरेट क्षेत्र या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में हो। वित्तीय स्वतंत्रता सशक्तिकरण का एक प्रमुख कारक है, जो महिलाओं को परिवार और सामाजिक निर्णयों में अपनी बात रखने की अनुमति देती है।

हालाँकि, वेतन, नौकरी के अवसरों और नेतृत्व पदों में लैंगिक असमानता बनी हुई है। घरेलू अपेक्षाओं के साथ व्यावसायिक जिम्मेदारियों को संतुलित करने से अक्सर महिलाओं के जीवन में जटिलता की एक और परत जुड़ जाती है।

सामाजिक चुनौतियाँ और वास्तविकताएँ

प्रगति के बावजूद, भारत में कई

महिलाओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लिंग-आधारित हिंसा, भेदभाव और सामाजिक दबाव जैसे मुद्दे अभी भी गहराई से जुड़े हुए हैं। दहेज, पुरूष बच्चों के लिए वरीयता और गतिशीलता पर प्रतिबंध जैसी प्रथाएं अभी भी कई लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं।

कानूनी ढांचे और आंदोलनों ने इन मुद्दों को संबोधित करने का काम किया है, लेकिन मानसिकता में बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए न केवल कानून की आवश्यकता होती है, बल्कि समाज द्वारा महिलाओं को देखने के तरीके में सांस्कृतिक बदलाव भी आवश्यक होता है।

भारतीय नारीत्व का बदलता चेहरा

आधुनिक भारतीय महिला एक ही भूमिका तक सीमित नहीं है। वह एक छात्रा, पेशेवर, उद्यमी, नेता, कलाकार और परिवर्तनकारी हैं। वह रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं और अपने तरीके से सफलता को पुनः परिभाषित कर रही हैं।

आज महिलाएं राजनीति, खेल, विज्ञान और कला में अग्रणी हैं। यह साबित करते हुए कि लिंग कोई सीमा नहीं बल्कि पहचान का एक आयाम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय से महिलाओं को अपनी बात कहने, जुड़ने और प्रेरित करने का अवसर भी मिला है।

समाज और पुरुषों की भूमिका

लैंगिक समानता की दिशा में यात्रा केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, समुदाय और विशेष रूप से पुरुष सहायक वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समान अवसरों को प्रोत्साहित करना, जिम्मेदारियों को साझा करना और रूढ़िवादिताओं को चुनौती देना प्रगति की दिशा में आवश्यक कदम हैं।

अधिक समावेशी भविष्य की ओर

आज भारत में महिला होने का मतलब है बदलाव के चौराहे पर खड़ा होना। यह चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों को अपनाने के बारे में है। यह भविष्य को आकार देते हुए अतीत का सम्मान करने के बारे में है।

भविष्य का दृष्टिकोण सशक्तिकरण से आगे बढ़कर सच्ची समानता की ओर जाना चाहिए। जहां महिलाओं को न केवल शामिल किया जाए बल्कि उनका महत्व भी दिया जाए, न केवल सुना जाए बल्कि उनका सम्मान किया जाए, तथा न केवल समर्थन दिया जाए बल्कि उनका जश्न मनाया जाए।

ब्रिटिश हुकूमत का क्रूरतम स्वरूप टुरिया जंगल कांड

सिवनी जिले का टुरिया कांड ब्रिटिश हुकूमत के बर्बरतम स्वरूप की रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। जलियाँवाला बाग में देशवासियों को गोलियों से भूनने वाली क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने 9 अक्टूबर, 1930 को टुरिया गाँव के सत्याग्रहियों पर गोलियाँ बरसाईं, आन्दोलनकारियों को वृक्षों से बाँधकर कोड़े मारे। आज़ादी के दीवानों को लहू-लुहान किया तथा अनेको को काँजी हाऊस में बंद कर दिया। प्रदेश भर में यह आन्दोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया, अनेक देशभक्त शहीद हुए, लाठियाँ खायीं, जेल की यातनाएँ भोंगी पर टस से मस न हुए। आन्दोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की तथा पीढ़ियों से आदिवासियों द्वारा आक्रांताओं के विरोध में उठाई जा रही अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा और जंगल सत्याग्रह में कूद पड़े।

भारतीय आज़ादी के इतिहास की किताबों में गाँवों में फैले ऐसे-ऐसे आन्दोलनों का जिक्र है जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब सिवनी जिले के ग्राम टुरिया में उठी आंदोलन की आंधी को ही लें। यह जानकर हैरत होती है कि बिना प्रशिक्षण अथवा बिना किसी तीखी योजना के उस गाँव में उठी एक अकेली चिन्गारी ने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस तरह के आंदोलन केवल इस अकेले गाँव में ही शुरू नहीं हुए थे बल्कि देश के सैकड़ों वन-ग्रामों के लोग अपने सिर पर कफन बाँधकर अंग्रेजों की तोपों के सामने आ खड़े हुए थे। इतिहासकारों ने ऐसे तमाम आंदोलन को जंगल सत्याग्रह का नाम दिया।

मध्यप्रदेश में जंगल सत्याग्रह के इतिहास में सिवनी जिले का टुरिया कांड

जलियाँवाला बाग में देशवासियों को गोलियों से भूनने वाली क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने 9 अक्टूबर, 1930 को टुरिया गाँव के सत्याग्रहियों पर गोलियाँ बरसाईं, आन्दोलनकारियों को वृक्षों से बाँधकर कोड़े मारे। आज़ादी के दीवानों को लहू-लुहान किया तथा अनेको को काँजी हाऊस में बंद कर दिया।

ब्रिटिश हुकूमत के बर्बरतम स्वरूप की रोंगटे खड़े करने वाली घटना है। जलियाँवाला बाग में देशवासियों को गोलियों से भूनने वाली क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने 9 अक्टूबर, 1930 को टुरिया गाँव के सत्याग्रहियों पर गोलियाँ बरसाईं, आन्दोलनकारियों को वृक्षों से बाँधकर कोड़े मारे। आज़ादी के दीवानों को लहू-लुहान किया तथा अनेको को काँजी हाऊस में बंद कर दिया।

प्रदेश के टुरिया काँड के बाद सिवनी जिले के सत्याग्रह की यह चिन्गारी बैतूल में प्रज्ज्वलित हुई, लोकजन जुड़ते चले गये अंचलों का हर आदिवासी कंधे पर कंबल डाल सत्याग्रह में शामिल हो गया। शाहपुर के समीप यह कमान गंजनसिंह कोरकू ने संभाली, आदिवासी-सेनानियों का नेतृत्व किया। पुलिस ने जोर-जबरदस्ती की। रामू

और मकडू गौण्ड के बलिदान से आन्दोलन और प्रखर हुआ। परिणामस्वरूप महाकौशल से निमाड़, छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह से धधक उठा। सतपुड़ा के जंगल से उठा सैलाब खण्डवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगाँव तक स्वप्ररेणा से उमड़ पड़ा। क्रांतिकारी चेतना में जन-जन शामिल हो गया।

असल में गाँधीजी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह आन्दोलन की प्राण शक्ति था। इसी सत्याग्रह की ताकत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। गाँधीजी द्वारा ईजाद किए गये सत्याग्रह तत्व को भारतवासियों ने एक साथ आत्मसात किया। राष्ट्रपिता ने 1929-30 को नमक सत्याग्रह में नमक बना ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। यह चुनौती पूरे देश ने दी। मध्यप्रदेश में नमक सत्याग्रह ने ही "जंगल सत्याग्रह" की नींव रखी। प्रदेश भर में यह आन्दोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया, अनेक देशभक्त शहीद हुए, लाठियाँ खायीं, जेल की यातनाएँ भोंगी पर टस से मस न हुए।

आन्दोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। आदिवासियों

असल में गाँधीजी के नेतृत्व में चले स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह आन्दोलन की प्राण शक्ति था। इसी सत्याग्रह की ताकत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। गाँधीजी द्वारा ईजाद किए गये सत्याग्रह तत्व को भारतवासियों ने एक साथ आत्मसात किया। राष्ट्रपिता ने 1929-30 को नमक सत्याग्रह में नमक बना ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी। यह चुनौती पूरे देश ने दी। मध्यप्रदेश में नमक सत्याग्रह ने ही "जंगल सत्याग्रह" की नींव रखी।

ने जंगल सत्याग्रह में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित की तथा पीढ़ियों से आदिवासियों द्वारा आक्रांताओं के विरोध में उठाई जा रही अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा और जंगल सत्याग्रह में कूद पड़े।

आरम्भ में सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयं सेवक शासकीय जंगल, चंदन बगीचा में जाकर घाँस काट सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रही पहले नोटिस देते, जत्थे में जाते और घाँस काटते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा दफा 379/114 ता.हि. एवं 26 फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती थी। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिये जाते थे। बावजूद इसके आन्दलोनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में "टुरिया सत्याग्रह" होना था।

टुरिया गाँव सिवनी नागपुर राजमार्ग पर सिवनी से 28 मील दूर खवासा ग्राम से दाहिनी तरफ 5 मील दूरी पर स्थित है। इस वन ग्राम द्वारा नियत समय अनुसार 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घाँस काटकर सत्याग्रह आरम्भ किया जाना तय हुआ। सत्याग्रह की सूचना टुरिया ग्राम के ही सत्याग्रही अग्रणी श्री मूका ने अंग्रेजी शासन को नोटिस देकर दी।

टुरिया गाँव सिवनी नागपुर राजमार्ग पर सिवनी से 28 मील दूर खवासा ग्राम से दाहिनी तरफ 5 मील दूरी पर स्थित है। इस वन ग्राम द्वारा नियत समय अनुसार 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घाँस काटकर सत्याग्रह आरम्भ किया जाना तय हुआ। सत्याग्रह की सूचना टुरिया ग्राम के ही सत्याग्रही अग्रणी श्री मूका ने अंग्रेजी शासन को नोटिस देकर दी कि वो 9

सन् 1930 का जंगल सत्याग्रह जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश

अक्टूबर को टुरिया के निकट जंगल में घाँस काटकर सत्याग्रह करेंगे। इस सूचना से तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (कलेक्टर) सीमेन भड़क उठा और टीच देम ए लेसन का आदेश देकर पुलिस को लाव-लश्कर के साथ टुरिया भेज दिया। सत्याग्रह के पूर्व श्री रामप्रसाद तथा श्री मूका ने जोश भरे भाषण से अपने साथियों को प्रोत्साहित किया। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। आन्दोलनकारियों ने घाँस काटी उपस्थित जनसमुदाय ने श्री मूका का अभिनन्दन किया। पुलिस सब इन्स्पेक्टर सदरउद्दीन व रेंजर मेहता पूरी तैयारी में थे उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ होते ही मूका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर जन समूह में आक्रोश उत्पन्न हुआ, ग्रामवासियों की उत्तेजना के विरोध में अंग्रेजी शासन के

सत्याग्रह के पूर्व श्री रामप्रसाद तथा श्री मूका ने जोश भरे भाषण से अपने साथियों को प्रोत्साहित किया। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। आन्दोलनकारियों ने घाँस काटी उपस्थित जनसमुदाय ने श्री मूका का अभिनन्दन किया।

आदेशानुसार पुलिस गोलियाँ बरसाने लगी। ग्रामवासियों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई गईं। हाहाकार मच गया। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता भोले-भाले ग्रामवासियों पर बरस रही थी। घटना स्थल पर ही गुड्डेबाई साकिन खामरीठ, रेनीबाई साकिन खम्बा, देभोबाई सा. भीलवा और विरजू भाई सा. मरझोडू शहीद हो गये। लगभग 35-40 लोग घायल हुए। अंग्रेजों ने अपना तानाशाही परम्परा के तहत मृतकों के शव घरवालों को नहीं दिये।

घटनास्थल के गोलीकांड के बाद भी पुलिस की बर्बरता रुकी नहीं ग्रामवासियों को वृक्षों से बाँधा गया उन्हें कोड़ों से पीटा, जमीन पर घसीटा तथा लातों-घूंसों से मारा गया। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। घायलों को रिश्तेदारों से मिलने तक नहीं दिया। उनकी तड़प व चीख से सिवनी जिला चीत्कार उठा।

अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने बलिदान का रंग भरा। इस बलिदान के बाद जंगल सत्याग्रह दावानल बनकर प्रांत भर में छा गया।

Sohrai: An Adivasi festival that celebrates oneness with nature and coexistence with cattle

Devendra Kumar Nayan

Jharkhand and neighbouring states celebrate Sohrai around the time when the followers of brahmanical Hinduism celebrate Diwali. It is celebrated at the time of the year when the nights become cool and the air is suffused with the pleasant smell of ripening crops. It is an expression of gratitude for a good harvest and healthy cattle.

In Jharkhand, Sohrai is a festival of all Adivasi communities, including Santhal and Munda, and is an important part of their socio-cultural life. In some places, the Sandan, that is non-Adivasis, also celebrate this festival with gusto. The festival is also celebrated in Odisha, Chhattisgarh, Bihar, West Bengal and Assam with great fervour and reverence.

"Sohrai" means "appreciating and caressing". The festival is about caressing cattle, pampering them and expressing gratitude towards them; it is about the relationship between humans and cattle in which cattle aren't tools but members of the household.

Jharkhand is a multi-racial and multi-cultural state where the Aryan, the Dravidian and the Austric cultural streams flow in parallel. Their mingling has shaped the culture of Jharkhand. There is hardly a month when a festival is not celebrated in Jharkhand. The Adivasis here live in communion with nature. Every season brings with it a new festival. After Karam and Sarhul, Sohrai is considered the most important festival.

Sohrai is known by other names in different parts of the state, namely Gohal Puja, Dangar

Puja and Bandna Parab. The Asur, Birajia and other primitive tribes settled in Netarhat call it Bhainsasur Puja. It is celebrated on the day after Diwali.

Sohrai is believed to be an ancient festival. Its roots go back to the times when humans lived off farming and cattle rearing. Historians say that it celebrates the pastoral age, when humans developed an enduring relationship with nature and animals.

The Adivasis apply vermillion and oil to the horns of their cows and bullocks. This is called Tel Makhayi. On the night of the Amavasya (New Moon day) a "chaumukhi diya" (four-sided earthen lamp) is lit in the barn. A mixture of seven cereals and pulses wheat, maize, bajra, arhar, urad, kurthi and paddy is boiled and fed to the cattle and is eaten by the family, too, making the festival symbolic of the philosophy of common life and collectiveness.

The grazers and youth go from door-to-door singing Chanchar songs (sung on the occasion of Sohrai) to the tune of drums, mandars, nagadas and kartals. They are offered delicacies, food grains and money by the households. These songs are called "Harabadia" in Khorta language.

Diverse traditions and historical background

The stories associated with the festival and the customs observed during the celebrations may differ from place to place but a common thread connects them celebrations of oneness with nature and coexistence of cattle and humans. Different Adivasi communities celebrate Sohrai at different times of the year. Some celebrate it around Diwali and others around Makar Sankranti in the month of Paush. These differences are said to be the fallout of social division and displacement that followed the Hul Revolt (1885).

Homes, colours and women's creativity

Preparations for Sohrai begin a few days earlier. Women clean homes, plaster the walls with clay and cow dung and give a limewash coating. Then, they make colourful paintings on the walls, which are known as Sohrai paintings. It is not just an art but a lively expression of the shared memories, labour and creativity of the Adivasi women. Hazaribagh, Giridih, Dumka and Bokaro districts of Jharkhand are the key centres of this art. The art form has two styles Manjhu Sohrai and Kudmi Sohrai.

For generations, women from different Adivasi communities have been portraying daily life and nature and painting animals and birds using clay, cow dung and natural colours. The oldest specimen of these paintings are found in the Isko Cave in Hazaribagh district, which indicates that this art may be at least 5000 years old.

Now, it is being used not only to paint walls but also to embellish clothes, bed sheets, handcrafted items and digital images. In 2020, the Sohrai mural art received its Geographical Indication tag, thus giving it not only a national but an international identity.

Sohrai murals are not only about aesthetics. They also represent the collective memory

of women, their hard work and their creativity. They show that in Adivasi communities, women are not passive onlookers but carriers and creators of culture.

Sohrai is also a symbol of the sacred and unbreakable sister-brother bond. In the Santhal community, Sohrai is considered an occasion for reestablishing and strengthening relationships within the family and outside. Traditionally, on Sohrai, brothers visit the homes of their married sisters and invite them to visit their maternal homes. The sisters accept the invitation, come to their maternal home and celebrate the festival with the family.

The community disapproves of a brother not inviting his sister and as a result her not visiting her maternal home on Sohrai, and in some cases, a symbolic penalty is imposed on such recalcitrant brothers.

The story of Marang Buru and the old farmer

There are many Adivasi folktales related to the origin of Sohrai. Every tribe has its own story. One of the popular ones goes thus: Long ago, an old farmer was sitting on the banks of a river. He saw a calf covered in slush. The old man took the calf to the river, gave it a bath and began caressing it. The calf's skin was glistening. After a while, when the calf's mother arrived, she was overwhelmed to see the love the man was showering on her offspring.

The cow told the old man that since he had displayed a great love and affection for her calf, she would accompany him to his home and help him. The cow went to the old man's home. Its milk and dung heralded prosperity in the farmer's household. With time, the calf grew into a bullock and began drawing the plough. The old man got a plentiful harvest.

However, when the crop was harvested, the old man did not give a grain to the cow and her calf. Like always, dried grass was placed before them. Hurt, the cow and the calf (now a bullock), began walking towards the forest. The old farmer regretted his actions and tried to stop them. But they didn't relent. Then, Marang Buru (the chief deity of the Adivasis) appeared and told the old farmer that he was incomplete without the animals. It was the cattle that had helped him prosper and so it was his duty to offer a part of the harvest to them.

This was how Sohrai came to be celebrated and to date, it symbolizes the coexistence of animals and humans and oneness with nature.

Five-day celebrations

Sohrai celebrations last five days in the Adivasi-dominated regions of Jharkhand. Each day is associated with particular beliefs and is marked by particular rituals and symbolism. The first day is called Nadka. On this day, the

homes and cattle sheds are cleaned. Farm implements like plough and yoke are also washed and cleaned. Oil is applied to the horns of the cows and the bullocks. It is called Tel Makhayi. Kujri oil is applied to the bodies of the cattle, which kills bacteria and cures wounds and makes their skin glow.

After dark, four-sided earthen lamps are lit in the barns, which symbolize all-round prosperity and purity. On this day, the deities Jehara, Era, Gosai Era and Marang Buru are invoked.

The second day is known as Dakay Din. On this day, women draw patterns and figures on the walls and floors ("alpana") using rice gruel all the way from the door of the house to the barn. The village pahan (chief priest) performs a ritualistic puja of the cattle and the barn. On this occasion, a pig or a cock is sacrificed and hadia (a country liquor made from rice) is offered to the ancestors. Later, all partake of it. In some communities, there is a unique tradition of making bullocks break eggs, which is considered a symbol of good luck.

The third day is called "Khoontav". On this day, the cattle are decorated with garlands and paddy ears and tied to pegs. In some places, this tradition is called "Santau". On this day, a game is also played. A tall, thick pole is erected at the village akhra (place designated for celebrations and performances). At the top, a sweet roti made of jaggery and rice flour (gur peetha) is tied and a strong bullock is tied at the bottom. The Adivasi youth try to fetch the roti without getting injured by the bullock. Those who succeed are called "veer" and the pahan honours them with new clothes. In some places, there is a tradition of tying a bullock wearing a garland of peetha at each door. The game involves snatching peetha from the bullock while playing drums and mandar.

The fourth day is called "Jaale Puja". On this day, the young men of the village dance and sing to the tune of mandar and drums and go from door to door. At every home, they receive prasad (food items offered to the deity) and food. At the home where this group dance and singing ends, they are offered hadia (a local drink). This day-long event celebrates mutual harmony and brotherhood and every household joins it.

The fifth and the last day is called "Hako Kaatkom". Hako is Santhali for fish. On this day, the men, children and the elderly go to a pond near the village where they fish together. In the evening, a communal feast is held. Rice, pulses and so on are collected from each home and "khichdi" is prepared. The villages collectively enjoy the feast sitting in a row. The women prepare special dishes. The day ends with dancing and singing.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

बी.एस.सी. मास कम्यूनिकेशन (3 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671 संतोष गुप्ता - 9755618891

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

पारदर्शिता और विश्वास
परीक्षा में नकल अब अपराध

R.O. No. 12988/1

छत्तीसगढ़ लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026

पेपर लीक, तकनीकी धोखाधड़ी व नकल गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष की सजा और ₹10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान

R.O. No. 13772/23

QR स्कैन करें

/ChhattisgarhCMO
/DPRChhattisgarh
www.dprcg.gov.in

सुशासन से समृद्धि की ओर

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्रमिकों के सशक्तीकरण का संकल्प

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष **10 हजार रुपए** की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में

4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए **495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए** की राशि का प्रावधान

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

R.O. No. 13772/23